2015 का विधेयक संख्यांक 226

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।
2. परिभाषाएं ।
3. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना ।

अध्याय 2

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

4. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।
5. केंद्रीय परिषद् के अधिवेशनों की प्रक्रिया ।
6. केंद्रीय परिषद् के उद्देश्य ।
7. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।
8. राज्य परिषद् के उद्देश्य ।
9. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।
10. जिला परिषद् के उद्देश्य ।

अध्याय 3

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

11. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना ।
12. चयन समिति ।
13. आयुक्त और उपायुक्त के वेतन और भत्ते ।
14. प्राधिकरण की प्रक्रिया ।
15. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के उद्देश्य ।
16. केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।
17. प्राधिकरण की अनुचित व्यापार पद्धतियों और भ्रामक विज्ञापनों की जांच करने की शक्तियां ।
18. ऐसी खाद्य वस्तुओं, जिनमें असंबद्ध पदार्थ अंतर्विष्ट हैं, के विक्रय, वितरण आदि का प्रतिषेध ।
19. क्षेत्रीय कार्यालय ।
20. आयुक्त और उपायुक्त को पद से हटाना ।
21. परिवाद फाइल करना और उसका निपटान ।
22. जुर्मानों का उपभोक्ता कल्याण निधि में प्रत्यय किया जाना ।

खंड

23. अपील ।

24. केंद्रीय प्राधिकरण के आदेशों के अननुपालन के लिए शास्ति ।

25. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट ।

अध्याय 4

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण

26. उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना ।

27. जिला आयोग का संरचना ।

28. सदस्यों की निरर्हताएं ।

29. जिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ।

30. जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

31. जिला आयोग की अधिकारिता ।

32. वह रीति, जिसमें परिवाद किया जा सकेगा ।

33. परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया ।

34. मध्यकता के प्रति निर्देश ।

35. जिला आयोग का निष्कर्ष ।

36. जिला आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।

37. जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील ।

38. राज्य आयोग की संरचना ।

39. राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी ।

40. राज्य आयोग की अधिकारिता ।

41. मामलों का अंतरण ।

42. सर्किट न्यायपीठ ।

43. राज्य आयोग को लागू प्रक्रिया ।

44. राष्ट्रीय आयोग को अपील ।

45. अपील की सुनवाई ।

46. राज्य आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।

47. राष्ट्रीय आयोग की संरचना और शक्तियां ।

48. राष्ट्रीय आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी ।

49. राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता ।

50. राष्ट्रीय आयोग की शक्ति और उसको लागू प्रक्रिया ।

51. एकपक्षीय आदेश अपास्त करने की शक्ति ।

52. मामलों का अन्तरण ।

53. सर्किट पीठें ।

54. आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति ।

55. आयोग की विशेषज्ञों द्वारा सहायता ।

56. अपील ।

57. आदेशों की अंतिमता ।

58. परिसीमा अवधि ।

खंड

59. प्रशासनिक नियंत्रण ।
60. जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन ।
61. तुच्छ या तंग करने वाले परिवादों को खारिज करना ।
62. आदेशों के विरुद्ध अपील ।

अध्याय 5

मध्यकता

63. उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना ।
64. मध्यस्थों का पैनलीकरण ।
65. पैनल से मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए अधिमान ।
66. कतिपय तथ्यों को प्रकट करने का मध्यस्थ का कर्तव्य ।
67. नियुक्ति का प्रतिसंहरण ।
68. मध्यस्थ के पैनल से प्रतिसंहरण ।
69. मध्यकता की प्रक्रिया ।
70. पक्षकारों द्वारा निपटान का आमंत्रण ।
71. जिला आयोग द्वारा निपटान को अभिलेखबद्ध करना और आदेश पारित करना ।

अध्याय 6

उत्पाद दायित्व

72. उत्पाद उत्तरदायित्व और इसका अन्य विधियों पर प्रभाव ।
73. उत्पाद के विनिर्माता का दायित्व ।
74. उत्पाद दायित्व कार्रवाई के अपवाद ।
75. उत्पाद विक्रेता का दायित्व ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

76. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
77. राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना ।
78. नियुक्तियों में रिक्ति या त्रुटि से आदेश का अविधिमान्य नहीं होना ।
79. शास्तियां ।
80. सूचना आदि की तामील ।
81. केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश ।
82. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
83. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
84. राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।
85. नियमों और विनियमों का संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना ।
86. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
87. निरसन और व्यावृत्ति ।

2015 का विधेयक संख्यांक 226

[दि कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015

उपभोक्ताओं के हितों के पर्याप्त संरक्षण के लिए और अनुचित व्यापारिक व्यवहार को प्रतिषिद्ध करने के लिए तथा उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों और उचित प्रशासन के लिए अन्य प्राधिकारियों की स्थापना के लिए तथा उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी समाधान के लिए उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2015 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न राज्यों और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम सभी माल और सेवाओं को लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) "विज्ञापन" से कोई श्रव्य या दृश्य प्रचार, किसी प्रकाश, ध्वनि, धूम्र, गैस, मुद्रित, इलैक्ट्रानिक माध्यम, इंटरनेट, वेबसाइट के माध्यम द्वारा किया गया कोई रूपण या उदघोषणा और जिसके अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, बीजक या कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(2) "समुचित प्रयोगशाला" से ऐसी कोई प्रयोगशाला या संगठन अभिप्रेत है, जो--

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है ;

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं, मान्यताप्राप्त है ; या

(iii) कोई ऐसी प्रयोगशाला या संगठन है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है, जिसका केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, किसी माल का यह अवधारण करने की दृष्टि से कि क्या उस माल में कोई त्रुटि है, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए, अनुरक्षण, वित्तपोषण किया जाता है या सहायता की जाती है ;

(3) "शाखा कार्यालय" से अभिप्रेत है--

(i) कोई ऐसा स्थापन जो विरोधी पक्षकार द्वारा शाखा के रूप में वर्णित किया गया है ; या

(ii) कोई ऐसा स्थापन जो वही क्रियाकलाप या सारतः वही क्रियाकलाप कर रहा है जो स्थापन के मुख्य कार्यालय के द्वारा किया जाता है ;

(4) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से धारा 11 के अधीन केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(5) उत्पाद दायित्व के संबंध में "दावाकर्ता" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई वर्ग अभिप्रेत है जो किसी उत्पाद दायित्व की कार्रवाई लाता है और यदि ऐसी कोई कार्रवाई उसके द्वारा या किसी संगम के निमित्त लाई जाती है तथा ऐसे निबंधनों जिसके अंतर्गत दावाकर्ता के वंशज भी हैं या यदि ऐसी कोई कार्रवाई उसके माध्यम से या किसी अप्राप्त व्यय के निमित्त लाई जाती है, के निबंधनों के अंतर्गत दावाकर्ता के माता पिता या विधिक संरक्षक भी सम्मिलित होंगे ;

(6) "परिवादी" से परिवाद करने वाला--

(i) कोई उपभोक्ता ; या

(ii) कोई दावाकर्ता ; या

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम ; या 2013 का 18

(iv) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ; या

(v) जहां एक ही हित रखने वाले अनेक उपभोक्ता है वहां एक या अधिक उपभोक्ता हैं ; या

(vi) उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में, उसका विधिक वारिस या प्रतिनिधि ; या

(vii) कोई उपभोक्ता जो अप्राप्तवय की दशा में उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक ;

(viii) कोई व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति जिसने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किया है, के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया है ;

(7) "परिवाद" से किसी परिवादी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा कोई अभिकथन अभिप्रेत है कि--

(i) किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा कोई अनुचित व्यापारिक व्यवहार या कोई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया है ;

(ii) उसके द्वारा क्रय किए गए या उसके द्वारा क्रय किए जाने के लिए करार किए गए माल में एक या अधिक त्रुटियां हैं ;

(iii) उसके द्वारा भाड़े पर ली गई या उपभोग की गई अथवा भाड़े पर लिए जाने का उपभोग किए जाने के लिए करार की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी है ;

(iv) यथास्थिति, किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता ने परिवाद में वर्णित माल या सेवाओं के लिए ऐसी कीमत से अधिक कीमत ली है जो,--

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियत की गई है ;

(ख) ऐसे माल या ऐसे माल को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज पर संप्रदर्शित की गई है ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित कीमत सूची पर संप्रदर्शित की गई है;

(घ) पक्षकारों के बीच करार पाई गई है ;

(v) ऐसा माल, जो उपभोग किए जाने पर जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय होगा--

(क) ऐसे माल की सुरक्षा से संबंधित किन्हीं मानकों के, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है, उल्लंघन में ;

(ख) यदि व्यापारी सम्यक् तत्परता से यह जान सकता हो कि इस

प्रकार प्रस्थापित माल जनता के लिए असुरक्षित है,

जनता को विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जा रहा है ;

(vi) ऐसी सेवाएं जो उनके उपयोग किए जाने पर जनता के जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय है या जिनका परिसंकटमय होना संभाव्य है, सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्थापित की जा रही है जिन्हें उक्त सम्यक् तत्परता से जान सकता हो कि वह जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकर है ;

(vii) उसे किसी अनुचित संविदा के कारण किसी प्रकार की हानि होती है, जिसे वह करता है ;

(8) "उपभोक्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो--

(i) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है, भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न, जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है या भागतः वचन दिया गया है या आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय करता है ऐसे माल का कोई प्रयोगकर्ता भी है, जब ऐसे प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन के किया जाता है किंतु इसके अतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है ; या

(ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उनका उपभोग करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है और वचन दिया गया है और भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उनका उपभोग करता है ऐसी सेवाओं का कोई हिताधिकारी भी है जब ऐसी सेवाओं का उपयोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है ;

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "वाणिज्यिक प्रयोजन" के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा ऐसे माल का उपभोग नहीं है जिसका उसने स्वनियोजन द्वारा अपनी जीविका उपार्जन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से क्रय और उसका उपभोग किया है ;

(ख) "माल के क्रय करने, सेवाओं को भाड़े पर लेने या उनका उपभोग करने" जिसके अंतर्गत किसी भी रीति के माध्यम से संव्यवहार भी है किंतु जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक माध्यम, टेलीशापिंग या सीधे विक्रय से आफलाइन, आनलाइन की कोई सीमा सम्मिलित नहीं है, भी है ।

(9) "उपभोक्ता विवाद" से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है ;

(10) "उपभोक्ता अधिकारों" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रगणित उपभोक्ता अधिकार अभिप्रेत हैं ;

(11) "त्रुटि" से ऐसी क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा किसी अभिव्यक्ति या विक्षित संविदा के अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका ऐसे किसी माल के संबंध में किसी भी प्रकार की रीति में व्यापारी द्वारा दावा किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता या कमी अभिप्रेत है और "त्रुटिपूर्ण" पद से तदनुसार अर्थ होगा ;

(12) "कमी" से--

(i) ऐसे कार्य की क्वालिटी, प्रकृति और रीति में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका किसी सेवा के संबंध में किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने का वचनबंध किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है ;

(ii) किसी कार्य का लोप करना या उसे करना जिससे उपभोक्ता को उपेक्षा के कारण या उपभोक्ता को किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित जानकारी को जानबूझकर रोके रखने के कारण कोई क्षति होती है, और "त्रुटिपूर्ण" पद से तदनुसार अर्थ होगा ;

(13) "डिजाइन" से किसी उत्पाद का आशय या उसकी भौतिक या सारवान् लक्षण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उत्पाद का आशय या उसका ज्ञात विनिर्मिति या उसकी अंतर्विष्टि तथा उत्पाद के विनिर्माण के आशय से उसके प्रायिक परिणाम या अन्य उपयोग की प्रक्रिया भी है ;

(14) "जिला आयोग" से धारा 26 के खंड (क) के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता आयोग अभिप्रेत है ;

(15) "इलैक्ट्रानिक प्ररूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) के अधीन है ; 2000 का 21

(16) "इलैक्ट्रानिक मध्यवर्ती" से कोई व्यक्ति जो उपभोक्ताओं को विज्ञापन करने या विभिन्न मालों के विक्रय या सेवा में विनिर्माणकर्ताओं, व्यापारियों या अन्य व्यक्तियों को समर्थ बनाने के क्रम में तकनीक या प्रक्रिया उपलब्ध करता है जिसके अंतर्गत आनलाइन बाजार स्थान और आनलाइन नीलामी स्थल भी है ;

(17) "इलैक्ट्रानिक अभिलेख" से वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन है ; 2000 का 21

(18) "अभिव्यक्ति वारंटी" से किसी उत्पाद से संबंधित कोई सारतः कथन, तथ्यों का प्रतिज्ञान, वचन या वर्णन अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद का

कोई नमूना या प्रतिरूप भी है ;

(19) "माल" से माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2 की उपधारा (7) में यथापरिभाषित माल अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (त्र) में यथापरिभाषित खाद्य भी है ; 1930 का 3 2006 का 34

(20) "अपहानि" से,--

(i) उत्पाद स्वयं से भिन्न संपत्ति को हानि ;

(ii) वैयक्तिक शारीरिक क्षति, रुग्णता या मृत्यु ;

(iii) वैयक्तिक, शारीरिक क्षति या रुग्णता या संपत्ति की हानि के कारण मानसिक वेदना या भावनात्मक के कारण होने वाली अपहानि ; या

(iv) इस खंड के उपखंड (I) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में वर्णित किसी प्रकार की अपहानि से उत्पन्न से संयुक्त या सेवाएं या कोई अन्य हानि ;

किंतु इसके अंतर्गत,--

(क) किसी उत्पाद को स्वयं को होने वाली अपहानि ;

(ख) वारंटी के भंग के अधीन संपत्ति को क्षति ;

(ग) वाणिज्यिक या आर्थिक हानि जिसके अंतर्गत आकस्मिक या पारिणामिक नुकसानी भी है,

सम्मिलित नहीं होगी ;

(21) "विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो,--

(i) किसी माल या उसके भाग को बनाता है या उसका विनिर्माण करता है ; या

(ii) किसी माल को बनाता नहीं है या उसका विनिर्माण नहीं करता है किंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए या विनिर्मित उसके भागों को संयोजित करता है ; या

(iii) किसी अन्य विनिर्माता द्वारा बनाए गए या विनिर्मित किसी माल पर अपना स्वयं का चिह्न लगाता है या लगवाता है ; या

(iv) कारबार के संचालन के अनुक्रम में, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी उत्पाद को रखने में विक्रय, वितरण, पट्टे, स्थापन करने, तैयार करने, पैक करने, लेबल, बाजार, मरम्मत, अनुरक्षण या अन्यथा में अंतर्वलित उक्त प्रयोजनों के लिए ;

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,--

(क) कोई व्यक्ति जो किसी उत्पाद (या किसी उत्पाद के घटक के भाग)

के डिजाइन, उत्पादन बनाने, विरचना, विनिर्मिति या पुनः निर्माण के कारबार में लगा है ; या

(ख) किसी उत्पाद का विक्रेता, उत्पाद के उपयोगकर्ता को किसी विनिर्माता के रूप में स्वयं को रखता है ; सिवाय कि कोई उत्पाद विक्रेता जो थोक विक्रेता, वितरक या उत्पाद के फुटकर विक्रेता के रूप में मुख्य रूप से कार्य करता है, इसके विक्रय से पहले किसी दिए गए उत्पाद के संबंध के साथ विनिर्माता उस सीमा तक हो सकेगा कि ऐसा विक्रेता उसके विक्रय से पूर्व उत्पाद की डिजाइन, उत्पादन बनाने, विरचना, विनिर्मिति या पुनः निर्माण के कारबार में लगा है ;

(22) "मध्यकता" से ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या किसी राज्य आयोग किसी जिला आयोग द्वारा नियुक्त किसी मध्यक द्वारा की जाती है, अभिप्रेत है, जो विवाद परिवाद, अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के आवेदन द्वारा अपील के पक्षकारों के मध्य विवाद का मध्यक का कर्ता है ; और

(23) "मध्यक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मध्यक के रूप में विवाद का स्वयं समाधान प्राप्त करने को पक्षकारों की सहायता मध्यक के रूप में करता है, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है ;

(24) "सारवान तथ्य" से उत्पाद का कोई विशिष्ट लक्षण या क्वालिटी अभिप्रेत है किंतु जिसके अंतर्गत उत्पाद या उसकी क्वालिटी का कोई साधारण मत या उसकी प्रशंसा सम्मिलित नहीं है ;

(25) "सदस्य" के अंतर्गत, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या किसी राज्य आयोग या जिला पीठ का अध्यक्ष और कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(26) "राष्ट्रीय आयोग" से धारा 26 के खंड (ग) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है ;

(27) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(28) "व्यक्ति" के अंतर्गत है–

(i) कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या न हो ;

(ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(iii) सहकारी सोसाइटी ;

(iv) व्यक्तियों का प्रत्येक अन्य संगम चाहे वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो ;

1860 का 21

(v) कोई व्यष्टि, निगम, कंपनी, संगम, फर्म, भागीदारी, सोसाइटी, संयुक्त स्टाफ कंपनी या अन्य अस्तित्व जिसके अंतर्गत कोई सरकारी अस्तित्व या व्यक्तियों का अनिगमित संगम भी है ;

(29) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(30) "उत्पाद" से गैसीय, द्रव या ठोस अवस्था में कोई चीज या माल या पदार्थ या कोई अपरिष्कृत सामग्री या उत्पाद का विस्तारित चक्र, जो तात्विक मूल्य रखता हैं जो प्रदाय करने में सक्षम हो या तो किसी संपूर्ण रूप से समुचित या उसका कोई भाग तथा व्यापार या कामर्स में देने के लिए उत्पादित किया गया है ; किंतु जिसके अंतर्गत मानव ऊत्तक, रक्त और रक्त उत्पाद, या अंग सम्मिलित नहीं हैं ;

(31) "उत्पाद दायित्व" से किसी विनिर्माता या माल के विक्रेता या सेवा प्रदाता के दायित्व अभिप्रेत है जो किसी उपभोक्ता को त्रुटिपूर्ण उत्पाद के विक्रय या सेवाओं की कमी से किसी उपभोक्ता को कारित होने वाली क्षति या नुकसानी के लिए प्रतिकर के रूप में है ;

(32) "उत्पाद विक्रेता" से--

(क) कोई विनिर्माता या माल का विक्रेता या सेवा प्रदाता ; या

(ख) कोई व्यक्ति जो कारबार के संचालन के अनुक्रम में, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी उत्पाद को रखने में विक्रय, वितरण, पट्टे, स्थापन करने, तैयार करने, पैक करने, लेबल, बाजार, मरम्मत, अनुरक्षण या अन्यथा में अंतर्वलित उक्त प्रयोजनों के लिए किंतु जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,--

(i) स्थावर संपत्ति का कोई विक्रेता जब तक कि उक्त व्यक्ति निर्मित भवन या ग्रह या फ्लैट के वृहत निर्माण के विक्रय में नहीं लगा है ;

(ii) वृत्तिक सेवाओं का कोई प्रदाता किसी दशा में जिसमें किसी उत्पाद के विक्रय या उपयोग संव्यवहार के आनुषंगिक है और निर्णय या कौशल या सेवा देने में संव्यवहार का सार है ;

(iii) कोई व्यक्ति जो,--

(i) उत्पाद के विक्रय के संबंध में केवल किसी वित्तीय सक्षमता में कार्य करता है ;

(ii) जो विनिर्माता, थोक विक्रेता, वितरक या फुटकर विक्रेता नहीं है ; और

(iii) जो किसी उत्पाद का पट्टा, किसी पट्टा करार के अधीन जिसमें उत्पाद की त्रुटियों के निरीक्षण या खोज के युक्तियुक्त अवसर के बिना जिसमें पट्टाकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण में उत्पाद का चयन, कब्जा, अनुरक्षण और प्रचालन होता है ;

(33) "मान्यता प्राप्त अभिकर्ता" से--

(क) ऐसा मुख्तारनामा धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो उसे किसी पक्षकार की ओर से ऐसे उपस्थित होने, आवेदन करने और कृत्य करने के लिए प्राधिकृत करता है ;

(ख) कोई व्यक्ति जो जिला आयोग या राज्य आयोग की अधकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास न करने वाले पक्षकार के लिए और उसके नाम से व्यापार या कारबार चलाता है, जहां--

(i) ऐसी उपस्थिति, आवेदन या कृत्य, केवल ऐसे व्यापार या कारबार से संबंधित विषयों के संबंध में किए गए हैं, और

(ii) किसी अन्य अभिकर्ता को ऐसी उपस्थितियों, आवेदनों और कृत्यों के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है ;

अभिप्रेत है ।

(34) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(35) "विनियामक" से मालों या सेवाओं को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित कोई कानूनी निकाय या कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(36) "अवरोधक व्यापारिक व्यवहार" से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जिसका आशय माल या सेवाओं से संबंधित बाजार में कीमत में या उनके परिदान की स्थितियों में ऐसी रीति से व्यवहार कौशल दिखाने या प्रदायों के प्रवाह को प्रभावित करने का है जिससे उपभोक्ता पर अनुचित कीमतें या निर्बन्धन थोपे जा सकें और इसके अंतर्गत--

(क) किसी व्यापारी द्वारा ऐसे माल के प्रदाय में या सेवाएं प्रदान कराने में करार पाई गई अवधि के परे विलंब, जिससे कीमत में वृद्धि हुई है या वृद्धि होने की संभावना हो ;

(ख) ऐसा कोई व्यापारिक व्यवहार जो किसी उपभोक्ता से, यथास्थिति, किसी अन्य माल या सेवा का, क्रय करने, भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने की, किसी अन्य माल या सेवा का पुरोभाव्य शर्त के रूप में क्रय करने, भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने की अपेक्षा करता है ;

(37) "सेवा" से किसी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है जो उसके संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत बैंककारी, वित्तपोषण, बीमा परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा के प्रदाय बोर्ड या निवास अथवा दोनों (गृह निर्माण) मनोरंजन, आमोद-प्रमोद या समाचार या अन्य जानकारी पहुंचाने के संबंध में, सुविधाओं का प्रबंध भी है लेकिन वह इन्हीं तक सीमित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा का किया जाना नहीं है ;

(38) "नकली माल और सेवाएं" से ऐसे माल या सेवाएं अभिप्रेत हैं जिनके असली होने का दावा किया गया है किंतु वे वास्तव में असली नहीं हैं ;

(39) "राज्य आयोग" से धारा 26 के खंड (ख) के अधीन किसी राज्य के लिए स्थापित कोई राज्य उपभोक्ता आयोग अभिप्रेत है ;

(40) किसी माल के संबंध में "व्यापारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो विक्रयार्थ किसी माल का विक्रय या वितरण करता है और इसके अंतर्गत उसका विनिर्माता भी है और जहां ऐसे माल का विक्रय या वितरण पैकेज के रूप में किया जाता है वहां इसके अंतर्गत इसका पैकर भी है ;

(41) "अनुचित व्यापारिक व्यवहार" से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जिसमें किसी माल के विक्रय, उपयोग या प्रदाय के संप्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अथवा किसी सेवा की व्यवस्था के लिए, कोई अनुचित पद्धति अथवा अनुचित या प्रबंधक व्यवहार जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई व्यवहार है, अपनाया जाता है, अर्थात् :--

(अ) मौखिक रूप से या लिखित रूप में या दृश्यरूपेण द्वारा कोई ऐसा कथन करने का व्यवहार जिसमें,--

(क) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि माल किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी, मात्रा, श्रेणी, संरचना, अधिमान या माडल का है ;

(ख) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि सेवाएं किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी या श्रेणी की हैं ;

(ग) किसी पुनर्निर्मित बरते हुए, नवीकृत, दुरस्त किए गए या पुराने माल के नया माल होने का मिथ्या व्यपदेशन किया गया है ;

(घ) यह व्यपदेशन किया जाता है कि माल या सेवाओं को ऐसा प्रयोजन, अनुमोदन, कार्यकरण, लक्षण, उपसाधन, प्रयोग या फायदे प्राप्त हैं जो कि ऐसे माल या सेवाओं के नहीं हैं ;

(ङ) यह व्यपदेशन किया जाता है कि विक्रेता या प्रदायकर्ता को ऐसा प्रयोजन या अनुमोदन या सहबद्धता प्राप्त है जो ऐसे विक्रेता या प्रदायकर्ता को प्राप्त नहीं है ;

(च) किसी माल या सेवाओं की आवश्यकता या उपयोगिता से संबंधित कोई मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन किया जाता है ;

(छ) जनता को किसी उत्पाद के या किसी माल के निष्पादन, प्रभावकारिता या अस्तित्व की दीर्घता की, जो उसके यथायोग्य या समुचित परीक्षण पर आधारित नहीं है, कोई वारंटी या प्रत्याभूति दी जाती है :

परंतु जहां इस आशय की प्रतिरक्षा की जाती है कि ऐसी वारंटी या प्रत्याभूति पर्याप्त या समुचित परीक्षण पर आधारित है वहां ऐसी प्रतिरक्षा

के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसी प्रतिरक्षा ले रहा है ;

(ज) जनता को इस रूप में व्यपदेशन किया जाता है जो--

किसी उत्पाद या किसी माल या सेवाओं की वारंटी या प्रत्याभूति, या किसी वस्तु या उसके किसी भाग को बदलने, उसके अनुरक्षण या उसकी मरम्मत करने अथवा किसी सेवा की जब तक कि उससे कोई विनिर्दिष्ट परिणाम प्राप्त न हो जाए, पुनरावृत्ति करने या उसे जारी रखने का वचन,

(झ) देने के लिए तात्पर्यित यदि ऐसी तात्पर्यित वारंटी या प्रत्याभूति या वचन तात्विक रूप से भ्रामक है अथवा यदि इस बात की कोई युक्तियुक्त आशा नहीं है कि ऐसी वारंटी, प्रत्याभूति या वचन का पालन किया जाएगा उस कीमत के बारे में जनता को तात्विक रूप से भुलावा दिया जाता है जिस पर किसी उत्पाद या वैसे ही उत्पाद या माल या सेवा का मामूली तौर पर विक्रय किया जाता है अथवा वह प्रदान की जाती है, तथा इस प्रयोजन के लिए कीमत के बारे में किसी व्यपदेशन को इस कीमत के प्रति निर्देश करने वाला समझा जाएगा जिस पर सुसंगत बाजार में साधारण तथा वह उत्पाद या माल विक्रेताओं द्वारा विक्रय किया गया है, या सेवाएं प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई हैं, जब तक कि यह स्पष्ट तथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो कि यह वह कीमत है, जिस पर वह उत्पाद उस व्यक्ति द्वारा विक्रय किया गया है, जिसके द्वारा या इसके निमित्त व्यपदेशन किया गया है ;

(ञ) ऐसे मिथ्या या भ्रामक तथ्य दिया जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति के माल, सेवाओं या व्यापार की अवमानना करते हैं ।

स्पष्टीकरण--खंड (अ) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कथन के बारे में जो--

(क) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु पर या उसके रैपर या आधान पर अभिव्यक्ति है ; या

(ख) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु से संलग्न, उसमें रखी हुई या उसके साथ की किसी चीज पर या किसी ऐसी चीज पर, जिस पर वह वस्तु संप्रदर्शन या विक्रय के लिए मढ़ी हुई है, अभिव्यक्ति है ; या

(ग) किसी ऐसी वस्तु में या उस पर अंतर्विष्ट है जो जनता को विक्रय की जाती है, भेजी जाती है, परिदान की जाती है, पारेषित की जाती है या किसी भी अन्य रीति से उपलब्ध कराई जाती है,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसा कथन है जो जनता को उस व्यक्ति द्वारा और केवल उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने इस कथन को इस प्रकार अभिव्यक्त, तैयार या अंतर्विष्ट कराया था ;

(आ) ऐसे माल या सेवाओं के किसी रियायती कीमत पर विक्रय या

प्रदाय के लिए, जो उस रियायती कीमत पर विक्रय या प्रदाय के लिए प्रस्थापित की जाने के लिए, आशयित नहीं है या ऐसी अवधि के लिए जो उन मात्राओं में जो उस बाजार के स्वरूप को, जिसमें कारबार किया जाता है, कारबार के स्वरूप और आकार को तथा विज्ञापन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, किसी समाचारपत्र में या अन्यथा किसी विज्ञापन के प्रकाशन की अनुज्ञा देता है ।

स्पष्टीकरण--खंड (आ) के प्रयोजनों के लिए, "सौदेबाजी कीमत" से--

(क) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो किसी विज्ञापन में, मामूली कीमत के प्रति निर्देश से या अन्यथा रियायती कीमत बताई गई है ; या

(ख) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो ऐसा व्यक्ति, जो उस विज्ञापन को पढ़ता, सुनता या देखता है, उन कीमतों को ध्यान में रखते हुए जिन पर विज्ञापित उत्पाद या वैसे ही उत्पाद मामूली तौर पर बेचे जाते हैं, युक्तियुक्त रूप से रियायती कीमत समझेगा ;

(इ) (क) दान या इनामों या अन्य वस्तुओं को आफर की जाने की अनुज्ञा देता है किंतु जिन्हें आफर किए गए रूप में दिए जाने का कोई आशय नहीं होता है अथवा जिनसे यह धारणा उत्पन्न होती है कि कोई चीज मुफ्त नहीं दी जा रही है या आफर की जा रही है, जबकि उसकी कीमत पूर्णतः या भागतः उस रकम में आ जाती है जो उस संपूर्ण संव्यवहार में प्रभारित की जाती है ; किसी उत्पाद या कोई कारबार हित के प्रोत्साहन प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षः, विक्रय, उपयोग या प्रदाय के प्रयोजन के लिए कोई प्रतियोगिता, लॉटरी, अवसर या कौशल के खेल का संचालन करना ;

(ख) किसी उत्पाद के विक्रय, उपयोग या प्रदाय का अथवा किसी कारबारी हित का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, संप्रवर्तन करने के प्रयोजन के लिए, किसी प्रतियोगिता, लाटरी, संयोग प्रधान या कौशल प्रधान खेल के संचालन की अनुज्ञा देता है ;

(ग) दान, ईनाम या निःशुल्क अन्य वस्तुएं प्रस्थापित करने वाली किसी स्कीम के भागीदारों से, उसके बंद हो जाने पर स्कीम के अंतिम परिणामों के बारे में जानकारी को रोकने की अनुज्ञा देता है ।

स्पष्टीकरण--इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, स्कीम के भागीदारों को वहां स्कीम के अंतिम परिणामों की जानकारी दे दी गई समझी जाएगी जहां ऐसे परिणाम उचित समय के भीतर उसी समाचारपत्र में प्रमुख रूप से प्रकाशित कर दिए जाते हैं जिसमें स्कीम मूल रूप से विज्ञापित की गई थी ;

(ई) ऐसे माल के विक्रय या प्रदाय की, जो उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित है या इस किस्म का है जो उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए संभाव्य है, यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए अनुज्ञा देता है कि वह माल निष्पादन, संरचना, अंतर्वस्तु,

डिजाइन, संनिर्माण, परिरूप या पैक करने के संबंध में, जो माल का उपयोग करने वाले व्यक्ति की क्षति की जोखिम का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आवश्यक है, उन स्तरमानों के अनुरूप नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए हैं ;

(उ) माल की जमाखोरी या उसके नष्ट किए जाने की अनुज्ञा देता है या माल के विक्रय किए जाने अथवा विक्रय के लिए उसके उपलब्ध कराए जाने या कोई सेवा प्रदान करने से इंकार करता है, यदि ऐसी जमाखोरी या नष्ट किए जाने या इंकार किए जाने से उसका या अन्य समरूप माल या सेवाओं का दाम बढ़ जाता है या बढ़ने की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है यह वह बढ़ने के लिए आशयित होता है ;

(ऊ) नकली माल के विनिर्मित या विक्रय के लिए ऐसे माल की प्रस्थापना करने या सेवाओं के उपबंध में प्रवंचन व्यवहार अपनाने की अनुज्ञा देता है ;

(ऋ) विक्रय किए गए माल या उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए बीजक या कैश मैमो या रसीद जारी करने में असफल रहता है या ऐसे बीजक या कैश मैमो या रसीद क्रेता के नाम को उल्लिखित किए बिना जारी करता है ;

(ए) ऐसे माल के विक्रय के पश्चात् और ऐसी सेवाओं को देने के पश्चात् माल को वापस लेने या प्रत्याहृत या सेवाओं को वापस लेने या बंद करने से इंकार कर देता है और उसका प्रतिफल, यदि संदत्त है, माल की प्राप्ति के पश्चात् या सेवाओं को प्राप्त करने के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर यदि वह इस प्रकार नियत है और उपभोक्ता द्वारा तदनुसार अनुरोध किया गया है, वापस करने से इंकार कर देता है ;

(ऐ) उपभोक्ता द्वारा विश्वास में दी गई कोई वैयक्तिक जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करता है । परंतु उक्त वैयक्तिक जानकारी का प्रकटन प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन या लोक हित में दी जाती है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार के रूप में नहीं लिया जाएगा ;

(42) 'अनुचित संविदा' से विनिर्माता या व्यापारी या सेवा प्रदाता और किसी उपभोक्ता के मध्य कोई संविदा अभिप्रेत है, जिसमें की अंतर्वस्तु निम्नलिखित निबंधनों में एक या अधिक है, अर्थात् :--

(i) संविदात्मक दायित्वों के अनुपालन के लिए संविदा के किसी पक्षकार द्वारा देने को प्रकट अत्यधिक सुरक्षा जमा की अपेक्षा ; या

(ii) भंग के लिए संविदा के किसी पक्षकार पर अधिरोपित कोई शास्ति, जो संविदा के अन्य पक्षकार को ऐसे भंग के कारण होने वाली हानि के पूर्णतया अननुपात है ; या

(iii) लागू शास्ति के संदाय पर ऋणों के पुन: संदाय को स्वीकार करने

से इंकार करना ;

(iv) एक पक्षीय संविदा को बिना युक्तियुक्त कारण के समाप्त करने को संविदा ;

(v) किसी पक्षकार की हकदारी भी प्रतिषिद्ध करार से संबंधित किसी निबंधन को अनुज्ञात करने या उक्त अन्य पक्षकार की सहमति के बिना अन्य पक्षकार अहितकर संविदा को समनुदेशित एक पक्षकार को अनुज्ञात करने का प्रभाव रखता है ;

(vi) उपभोक्ता पर अधिरोपित कोई अयुक्तियुक्त प्रभार दायित्व या शर्तें, जो उपभोक्ता को अलाभप्रद स्थिति में रखती हैं ;

(43) "असुरक्षित माल, सेवाएं और व्यवहार" से माल सेवा और व्यवहार अभिप्रेत हैं, जो कि शारीरिक या मानसिक क्षति या कोई संपति, चल या जंगम को कोई हानि या कोई नुकसानी कारित करती हैं ।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना ।

3. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

अध्याय 2

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।

4. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के रूप में ज्ञात एक परिषद् का (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय परिषद् कहा गया है) गठन करेगी ।

(2) केंद्रीय परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) केंद्रीय सरकार उपभोक्ता कार्यकलापों को भारसाधक मंत्री जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सरकारी या गैर-सरकारी सदस्यों की उतनी संख्या, जो विहित की जाए ।

केंद्रीय परिषद् के अधिवेशनों की प्रक्रिया ।

5. (1) केंद्रीय परिषद् के अधिवेशन आवश्यकतानुसार होंगे किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद् का कम से कम एक अधिवेशन किया जाएगा ।

(2) केंद्रीय परिषद् का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाए ।

केंद्रीय परिषद् के उद्देश्य ।

6. केंद्रीय परिषद् का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना होगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :--

(क) जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकटमय माल और सेवाओं के विपणन

के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार ;

(ख) यथास्थिति, माल या सेवाओं की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में, सूचित किए जाने का अधिकार जिससे कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार से उपभोक्ता को संरक्षण दिया जा सके ;

(ग) जहां भी संभव हो वहां प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न किस्मों का माल और सेवाएं सुलभ कराने का आश्वासन दिए जाने का अधिकार ;

(घ) सुने जाने का और यह आश्वासन दिए जाने का अधिकार कि उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित पीठों में सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा ;

(ङ) अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार ; और

(च) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।

7. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, ऐसे राज्य के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य परिषद् कहा गया है) के रूप में ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगी ।

(2) राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) राज्य सरकार में उपभोक्ता कार्यकलापों का भारसाधक मंत्री, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने अन्य सरकारी या गैर-सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(ग) दस से अनधिक उतने अन्य सरकारी या गैर-सरकारी सदस्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) राज्य परिषद् के अधिवेशन आवश्यकतानुसार होंगे किंतु प्रतिवर्ष कम से कम दो अधिवेशन किए जाएंगे ।

(4) राज्य परिषद् का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार के बारे में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो राज्य द्वारा विहित की जाए ।

राज्य परिषद् के उद्देश्य ।

8. प्रत्येक राज्य परिषद् के उद्देश्य राज्य के भीतर, धारा 6 के खंड (क) से खंड (च) में अधिकथित उपभोक्ता अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना होगा ।

जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।

9. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के रूप में ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगी ।

(2) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में (जिसे इसमें इसके पश्चात् जिला परिषद् कहा गया है) निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) जिले का कलक्टर (चाहे उसका जो भी नाम हो), जो उसका अध्यक्ष

होगा ; और

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने अन्य सरकारी या गैर-सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) जिला परिषद् के अधिवेशन आवश्यकतानुसार होंगे किंतु प्रतिवर्ष कम से कम दो अधिवेशन किए जाएंगे ।

(4) जिला परिषद् का अधिवेशन, जिले के भीतर, ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार के बारे में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो राज्य द्वारा विहित की जाए ।

जिला परिषद् के उद्देश्य ।

10. प्रत्येक जिला परिषद् का उद्देश्य जिले के भीतर, धारा 6 के खंड (क) से खंड (च) में अधिकथित उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना होगा ।

अध्याय 3

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना ।

11. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण और लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के रूप में ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी ।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण का प्रमुख आयुक्त होगा, जो भारत सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी होगा और केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्यों में उसकी सहायता को पांच उपायुक्त होंगे ।

(3) आयुक्त की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जिनकी आयु पैंतालीस वर्ष से अन्यून न हों,--

(i) जो केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकार या किसी केंद्रीय या राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत निकायों या विश्वविद्यालयों में, भारत सरकार के सचिव के समतुल्य पद धारण कर रहा है या धारण किए हुए हो ; या

(ii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा के सार्वजनिक या सामाजिक जीवन से ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, जिनके पास उपभोक्ता अधिकारों और कल्याण, उपभोक्ता नीति, विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य या उद्योग आदि से संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान और पन्द्रह वर्ष से अन्यून का वृत्तिक अनुभव हो ।

(4) उपायुक्त की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जिनकी आयु चालीस वर्ष से अन्यून न हों,--

(i) जो केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकार या किसी केंद्रीय या राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत निकायों या विश्वविद्यालयों में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य पद धारण कर रहा है या धारण किए हुए हो ; या

(ii) उपभोक्ता अधिकार और कल्याण, उपभोक्ता नीति, विधि, औषधि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरी, उत्पाद सुरक्षा, वाणिज्य, लोक व्यवहार या प्रशासन के क्षेत्र में दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव सहित विशेषज्ञता या पर्याप्त या विशेष ज्ञान

के साथ लोक जीवन का ख्यातिप्राप्त व्यक्ति ;

(5) उपायुक्त निम्नलिखित पांच ब्यूरों में से किसी एक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें उसके पास अनुभव और विशेषज्ञ ज्ञान रखता है :--

(क) मालों और सेवाओं में सुरक्षा ;

(ख) गुणवत्ता आश्वासन और मानक ;

(ग) उपभोक्ता संविदाओं में उपभोक्ता के अहित और अनुचित निबंधनों का निवारण,

(घ) अनुचित व्यापार पद्धतियों का निवारण, जिसके अंतर्गत भ्रामक विज्ञापन भी हैं, और

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण विधियो को लागू करना ।

(6) केन्द्रीय प्राधिकरण का कार्यालय दिल्ली में अवस्थित होगा ।

(7) केंद्रीय प्राधिकरण ऐसी संख्या में अधिकारियों, विशेषज्ञों, वृतिकों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझे, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(8) आयुक्त को केंद्रीय प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों के संबंध में साधारण अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण की शक्तियां होंगी ।

चयन समिति ।

12. (1) आयुक्त और पांच उपायुक्तों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी और वे पांच वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेंगे ।

(2) चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का सचिव – पदेन ;

(ख) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार -- पदेन ;

(ग) सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार -- पदेन ।

आयुक्त और उपायुक्त के वेतन और भत्ते ।

13. आयुक्त और उपायुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

प्राधिकरण की प्रक्रिया ।

14. केंद्रीय प्राधिकरण ऐसे समय पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा, जो वह विनिर्दिष्ट करें ।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के उद्देश्य ।

15. केंद्रीय प्राधिकरण के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे--

(i) उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन करना, जिसके अंतर्गत जीवन और संपत्ति के लिए सुरक्षित या परिसंकटमय माल या उत्पादों और सेवाओं

के विरुद्ध अधिकारों का संरक्षण हैं, यथास्थिति, माल या सेवाओं की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार ;

(ii) अनुचित व्यापार पद्धतियों का निवारण ;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि किसी माल या सेवाओं का ऐसा कोई विज्ञापन नहीं किया गया है, जो भ्रामक या प्रवंचित करने वाला या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघनकारी न हो ;

(iv) यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति अनुचित व्यापार पद्धतियों में संलग्न नहीं हो या ऐसे किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग न ले रहा हों, जो मिथ्या या भ्रामक हो ;

केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

16. केंद्रीय प्राधिकरण ऐसी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि केंद्रीय सरकार विहित करे और विशिष्टित,--

(i) स्वप्रेरणा से या किसी परिवाद पर या इस अधिनियम में प्रगणित उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की सरकार के किसी निदेश पर जांच करना और यथास्थिति समुचित न्यायालय या जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में अभियोजन आरंभ करना ;

(ii) किसी न्यायालय के समक्ष यथास्थिति, उस न्यायालय, जिला न्यायालय या राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की अनुज्ञा से, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के अभिकथनों की किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना ;

(iii) उन कारकों का, जो उपभोक्ता अधिकारों का उपभोग करने को सीमित करते हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना ;

(iv) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपबंधित सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(v) उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों को अंगीकार करने के लिए सिफारिशें करना ;

(vi) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना ;

(vii) उपभोक्ताओं के अधिकारों और उपभोक्ता साक्षरता के संबंध में जागरुकता और प्रसार और संवर्धन करना ;

(viii) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनसे सहयोग करना तथा उपभोक्ता संरक्षण अभिकरणों के साथ कार्य करना ;

(ix) स्वप्रेरणा से या किसी परिवाद का या अध्याय 4 के अधीन किसी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण द्वारा किए गए किसी निर्देश पर, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, दस्तावेजों या अभिलेखों या वस्तुओं तथा साक्ष्य के अन्य प्ररुपों की तलाशी लेना और अभिग्रहण करना, अपचारी विनिर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और सेवा प्रदाताओं को समन करना तथा मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करना और दस्तावेजों तथा अभिलेखों को प्रस्तुत करने का निदेश देना जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ;

(x) असुरक्षित पाई गई मालों को ऐसी जांच के आधार पर वापस लेने के लिए आदेश पारित करना या असुरक्षित या परिसंकटमय पाई गई सेवाओं को उसकी जांच के आधार पर प्रत्याहरण के लिए निदेश देना, उपभोक्ता हितों के लिए अनुचित और प्रतिकूल व्यवहारों को रोकने के लिए निदेश देना तथा इस प्रकार वापस लिए गए मालों के मूल्य के लिए ऐसे मालों तथा सेवाओं के क्रेताओं को प्रतिपूर्ति करने का आदेश देना ;

(xi) विशिष्ट और सार्वभौमिक माल पहचानकर्ताओं (वि.सा.मा.प.) का ऐसी वस्तुओं में उपयोग का आदेश करना, जो अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने और उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक हों ;

(xii) असुरक्षित माल या असुरक्षित पाई गई सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सुरक्षा सूचना और सतर्कता सूचना जारी करना ;

(xiii) ऐसे विज्ञापनों को, जो मिथ्या या भ्रामक पाए गए हैं, का प्रत्याहरण करने के लिए आदेश करना तथा जहां भी आवश्यक हो, सुधारकारी विज्ञापन जारी करने के लिए निदेश देना ;

(xiv) ऐसी संविदाओं के निबंधनों को, जो उपभोक्ता के लिए अनुचित पाई जाएं, को अकृत और शून्य घोषित करना ;

(xv) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा और जुर्माना अधिरोपित करते समय जुर्माने की रकम का अवधारण करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कारकों को विचार में लिया जाएगा,--

(क) प्रभावित जनसंख्या और क्षेत्र के संबंध में उल्लंघन का समाघात ;

(ख) उल्लंघन की आवृत्ति और अवधि ;

(ग) उल्लंघन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के वर्ग की भेद्यता ; और

(घ) इस आचरण द्वारा प्रभावित विक्रयों से सकल राजस्व ;

(xvi) भ्रामक विज्ञापनों का संज्ञान लेना ;

(xvii) उपभोक्ता हितों का शोषण करने के लिए औद्योगिक विनिर्माताओं या व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं के आचरण के विरुद्ध आदेशों को प्रवर्तन कराना ;

(xviii) उपभोक्ता कल्याण उपायों पर मंत्रालयों और विभागों को परामर्श देना ;

(xix) अनुचित व्यापार पद्धतियों का निवारण करने के लिए और उपभोक्ता हितों का संरक्षण करने के लिए विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों की विरचना करना ।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या की गई किसी शिकायत या सरकार द्वारा दिए गए निदेश पर उपभोक्ता अधिकारों या ऐसी व्यापार पद्धतियों या कोई विज्ञापन जो जनता के हित के प्रतिकूल है या साधारणतया किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के हित के प्रतिकूल है या कोई अनुचित व्यापार पद्धति या कोई विज्ञापन जो इस अधिनियम में उपदर्शित उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघनकारी है, के ऐसे उल्लंघनों की जांच के पश्चात्, मामले को, अपनी सिफारिशों सहित, यदि कोई हों संबंधित विनियामक को अग्रेषित करेगा :

परंतु संबंधित विनियामक उसे निर्दिष्ट मामले का संज्ञान ले सकेगा और ऐसे निदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

प्राधिकरण की अनुचित व्यापार पद्धतियों और भ्रामक विज्ञापनों की जांच करने की शक्तियां ।

17. (1) प्राधिकरण, अनुचित व्यापार पद्धतियों और किसी मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन की जांच कर सकेगा, जो उसके समक्ष जांच के लिए या उसकी स्वयं की सूचना या जानकारी में आता है और यदि ऐसी जांच के पश्चात् उसकी यह राय हो कि कोई व्यापार पद्धति अनुचित है या विज्ञापन लोक हित के प्रतिकूल प्रभाव डालता है या साधारणतया किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या विज्ञापन उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि--

(क) व्यापार पद्धति या विज्ञापन को रोक दिया जाएगा या उसे दोहराया नहीं जाएगा ; या

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार पद्धति या विज्ञापन लोक हित के प्रतिकूल नहीं है या साधारणतया किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं है और ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, व्यापार पद्धति या विज्ञापन को ऐसी रीति परिवर्तित हो जाएगा ।

(2) ऐला व्यक्ति कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या किसी विज्ञापन के ऐसे प्रकाशन में पक्षकार है, जो–

(क) किसी खाद्य का मिथ्या रूप से वर्णन करता है ; या

(ख) जिससे किसी खाद्य की प्रकृति या पदार्थ या क्वालिटी के संबंध में भ्रमित होने की संभावना है या मिथ्या गारंटी देता है,

वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी ।

(3) इस तथ्य की किसी कार्यवाही में कि किसी खाद्य वस्तु का कोई लेबल या विज्ञापन, जिसकी बाबत किसी उल्लंघन का अभिकथन किया गया है, में खाद्य की संरचना का सही विवरण अंतर्विष्ट है, केंद्रीय प्राधिकरण को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से नहीं रोकेगा

कि कोई उल्लंघन किया गया था ।

ऐसी खाद्य वस्तुओं, जिनमें असंबद्ध पदार्थ अंतर्विष्ट हैं, के विक्रय, वितरण आदि का प्रतिषेध ।

18. (1) कोई व्यक्ति, मानव उपभोग के लिए खाद्य की किसी वस्तु का विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात नहीं करेगा जिसमें असंबद्ध पदार्थ अंतर्विष्ट हैं ।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण को किसी व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी, जो मानव उपभोग के लिए खाद्य की किसी वस्तु का, जिसमें असंबद्ध पदार्थ अंतर्विष्ट हैं, विक्रय करने के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण करता है या विक्रय करता है या वितरित करता है या आयात करता है ।

क्षेत्रीय कार्यालय ।

19. (1) केंद्रीय प्राधिकरण के उतने क्षेत्रीय कार्यालय, ऐसे स्थानों पर, हो सकेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ।

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होगा ।

(3) किसी क्षेत्रीय कार्यालय का उपायुक्त उस क्षेत्र के भीतर आने वाले राज्यों में केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, जिसके अंतर्गत उसके क्षेत्र में के क्षेत्रीय कार्यालय की अधिकारिता में आने वाले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उपभोक्ता वादों को फाइल करना भी है ।

(4) जिला स्तर पर केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों का उपयोग संबंधित जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा, जो कि उपभोक्ता के अधिकारों का प्रवर्तन करने के साथ संरक्षण के लिए स्वप्रेरणा से अन्यथा की जांच कर सकता है और प्रत्येक जिला कलेक्टर संबंधित क्षेत्र के जिला आयुक्त को की गई कार्रवाई की एक मासिक रिपोर्ट भेजेगा ।

आयुक्त और उपायुक्त को पद से हटाना ।

20. (1) केंद्रीय सरकार, आयुक्त और किसी उपायुक्त को पद से हटा सकेगी, जो–

(क) दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया हो ; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) शारीरिक और मानसिक रूप से आयुक्त या उपायुक्त के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके आयुक्त या उपायुक्त के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; या

(ङ) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिसके कारण उसका पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल है ; या

(च) उसके नियंत्रण से परे कारणों के सिवाय तीन लगातार बैठकों के पश्चात् भी अनुपस्थित रहा है ।

(2) धारा 15 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त या किसी उपायुक्त को उनके पद से सिवाय केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त धारा के खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर और अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता

विवाद समाधान आयोग और अपर सचिव, उपभोक्ता मामले से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा की गई जांच के पश्चात् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किए गए आदेश द्वारा पद से नहीं हटाया जाएगा ।

परिवाद फाइल करना और उसका निपटान ।

21. (1) कोई उपभोक्ता, यथास्थिति, लिखित में या इलैक्ट्रानिक रीति में या तो संबंधित जिला कलेक्टर या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त या केंद्रीय प्राधिकरण को इस वचनबंध के साथ की उसने केवल पूर्वोक्त कार्यालयों में से किसी एक में परिवाद किया है ।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण का परिवाद की विषय-वस्तु से संबंधित उपायुक्त परिवाद की जांच करेंगे और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार समुचित कार्रवाई करेंगे ।

(3) किसी उपभोक्ता द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद को जिला कलक्टर या क्षेत्रीय कार्यालय या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, रजिस्टर किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त परिवाद का निपटान संबंधित केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा किंतु यदि परिवाद का निपटान ऐसी अवधि के दौरान उन कारणों से, जो संबंधित केंद्रीय प्राधिकारी के नियंत्रण से परे हैं, युक्तियुक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसा केंद्रीय प्राधिकारी अनिवार्य रूप से कारणों से ऐसी अवधि के अवसान से पूर्व समय विस्तार की वांछा करेगा और सक्षम केंद्रीय प्राधिकारी परिवाद का निपटान करने के लिए तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए समय का विस्तार नहीं करेगा ।

(5) जिला कलेक्टर की दशा में क्षेत्रीय कार्यालय में उपायुक्त और क्षेत्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय में उपायुक्त द्वारा अनुरोध की दशा में केंद्रीय प्राधिकरण परिवाद के निपटान के लिए समय-सीमा का विस्तार अनुदत्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है ।

जुर्मानों का उपभोक्ता कल्याण निधि में प्रत्यय किया जाना ।

22. (1) केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा या प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रधान कार्यालय में संग्रहित जुर्माने की रकम का केंद्रीय सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि में प्रत्यय किया जाएगा ।

(2) जिला कलेक्टर द्वारा संग्रहित जुर्माने की रकम को संबंधित राज्य सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि में प्रत्यय किया जाएगा ।

अपील ।

23. (1) जिला कलक्टर के विनिश्चय के विरुद्ध अपील संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जिला आयुक्त को की जाएगी ।

(2) किसी क्षेत्रीय कार्यालय उपायुक्त के विनिश्चय के विरुद्ध अपील केंद्रीय प्राधिकरण के आयुक्त को की जाएगी ।

केंद्रीय प्राधिकरण के आदेशों के अननुपालन के लिए शास्ति ।

24. (1) केंद्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में किए गए उसके आदेशों या निदेशों के अननुपालन में कोई जांच करना कारित कर सकेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के केंद्रीय प्राधिकरण के

आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्यून नहीं होगा, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अननुपालन होता है, दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जारी किए गए आदेशों या निदेशों का अनुपालन नहीं करता है या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहता है वह किसी विधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा :

परंतु सक्षम न्यायालय इस धारा के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा फाइल किए गए परिवाद के सिवाय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट ।

25. केंद्रीय प्राधिकरण, अपने कार्यकरण और कार्य निष्पादन पर एक वार्षिक रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्टें और विवरणियां, जो प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाए, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय 4

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना ।

26. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अभिकरणों की स्थापना की जाएगी, अर्थात् :--

(क) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आयोग के नाम से ज्ञात जिला उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष आयोग की स्थापना की जाएगी :

परंतु राज्य सरकार यदि उचित समझे तो किसी जिले में एक से अधिक जिला आयोग गठित कर सकेगी :

परंतु यह और कि जहां किसी जिले में जहां किसी जिला आयोग की स्थापना नहीं की गई है या यदि स्थापना की गई है, अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद की किसी समय कोई रिक्ति है तो ऐसी दशा में, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि--

(i) कोई जिला आयोग, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे जिला आयोग के संबंध में या अधिसूचना में या विनिर्दिष्ट जिलों में, अधिकारिता का उपयोग करेगा ; या

(ii) जिला आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य, किसी अन्य जिला आयोग के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य में गठित "राज्य आयोग" के नाम

से ज्ञात राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ; और

(ग) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा गठित "राष्ट्रीय आयोग" के नाम से ज्ञात राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की,

में स्थापना की जाएगी ।

जिला आयोग की संरचना ।

27. (1) प्रत्येक जिला आयोग में निम्नलिखित होंगे–

(क) कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश है, या रहा है या जिला न्यायाधीश होने के लिए अर्हित से कम नहीं है या राज्य में जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून या समतुल्य हैं, वह इसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) सदस्यों की ऐसी संख्या का दो से अन्यून और से अनधिक नहीं होगी, जो विहित किए जाएं, जिसमें से कम से कम एक महिला होगी, जो–

(i) 35 वर्ष से अन्यून आयु के होंगे ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि रखती हो ; और

(iii) जो योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा रखते हों और जिसके पास पर्याप्त जानकारी तथा अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखा शास्त्र, उद्योग, उपभोक्ता मामले या प्रशासन से संबंधित समस्याओं से व्यौहार करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो ।

सदस्यों की निरर्हताएं ।

28. कोई व्यक्ति जिला आयोग में किसी सदस्य के रूप में,--

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ; या

(ख) अननुमोचित दिवालिया है ; या

(ग) विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है ; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

वह नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा ।

जिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ।

29. (1) जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।

(2) जिला आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु तक इनमें से

जो भी पूर्वत्तर हो, अपना पद धारण करेगा :

परंतु कोई सदस्य पांच वर्ष की एक और अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) में वर्णित नियुक्ति के लिए अरर्हताओं और अन्य शर्तों को पूरा करता है, पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा और ऐसी पुनर्नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर भी की जाएगी :

परंतु या और कि जिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति पुन: नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा :

परंतु यह भी कि कोई सदस्य, राज्य सरकार को लिखित संबोधन द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार करने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा और उसे धारा 27 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अर्हता को पूरा करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(4) जिला आयोग का अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में अपना पद धारण करना समाप्त करने पर उस राज्य के किसी जिला आयोग में जिसमें वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य रहे हैं, के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, कार्य नहीं करेंगे या अभिवचन नहीं करेंगे ।

जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

30. (1) राज्य सरकार, जिला आयोग को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो जिला आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित हों ।

(2) जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) जिला आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

जिला आयोग की अधिकारिता ।

31. (1) इस अधिनियम के अन्य निबंधनों के अधीन रहते हुए जिला आयोग को वहां परिवाद स्वीकार करने की अधिकारिता होगी जहां वस्तुओं या सेवाओं का बिल मूल्य पचास लाख रुपए से अनधिक है या उक्त मूल्य जो विहित किया जाए की सीमा से तीन गुणा तक और प्रतिकर, यदि कोई हों, जिसका दावा किया गया है ।

(2) किसी जिला आयोग की स्थानीय सीमाओं में कोई परिवाद संस्थित किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता,--

(क) परिवाद आरंभ करने के समय विरोधी पक्षकार या प्रत्येक विरोधी पक्षकार, जहां एक से अधिक हैं, वास्तव में और स्वैच्छिक रूप से निवास करते हैं या अपना कारबार करते हैं या उनका कोई शाखा कार्यालय है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, या

(ख) परंतु यह कि परिवाद आरंभ करने के समय कोई विरोधी पक्षकार या प्रत्येक विरोधी पक्षकार, जहां एक से अधिक हैं, वास्तव में और स्वैच्छिक रूप से निवास करते हैं या अपना कारबार करते हैं या उनका कोई शाखा कार्यालय है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, इस दशा में कि जिला आयोग की अनुज्ञा दी गई है ; या

(ग) वाद हेतुक पूर्णतया या भागत: उद्भूत होता है ; या

(घ) परिवादकर्ता निवास करता है या लाभ के लिए व्यक्तिक रूप से कार्य करता है ।

(3) जिला आयोग साधारणतया जिला मुख्यालय में कार्य करेगा और जिले में ऐसे अन्य स्थानों पर कार्य करेगा, जैसा राज्य सरकार राज्य आयोग के परामर्श से समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करें ।

वह रीति, जिसमें परिवाद किया जाएगा ।

32. (1) विक्रय की गई किसी वस्तु या परिदत्त की गई या बिक्री की गई या परिदत्त की गई या उपलब्ध कराई गई किसी सेवा या उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमति दी गई किसी सेवा के संबंध में परिवाद को जिला आयोग के पास फाइल किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी ढंग भी है–

(क) वह उपभोक्ता, जिसे ऐसी वस्तुएं बेची गई हैं, या परिदत्त की गई हैं, या जिन्हें बेचे या परिदत्त किए जाने के लिए सहमति दी गई है या ऐसी प्रदान की गई सेवा या प्रदान करने के लिए दी गई सहमति या जिसकी बाबत निर्बंधित व्यापार पद्धति या अनुचित व्यापार पद्धति का अभिकथन किया गया है ;

(ख) कोई मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम, चाहे वह उपभोक्ता, जिसे वस्तुएं बेची गई हैं, या परिदत्त की गई है या जिसे बेचे जाने या परिदान किए जाने की सहमति दी गई है या उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराए जाने के लिए दी गई सहमति, जिसकी बाबत निर्बंधित व्यापार पद्धति का अभिकथन किया गया है, ऐसे संगम का सदस्य है या नहीं ;

(ग) एक या एक से अधिक उपभोक्ता, जहां अनेक ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका हित समान है, जिला आयोग की अनुज्ञा से सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके फायदे के लिए इस प्रकार हितबद्ध सभी उपभोक्ता ; या

(घ) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या तो व्यष्टिक क्षमता में या साधारणतया उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में :

परंतु इस उपधारा के अधीन परिवाद इलैक्ट्रानिक रूप में या ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, फाइल किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक परिवाद के साथ फीस की ऐसी रकम और ऐसी रीति में संदेय होगी जिसमें इलैक्ट्रानिकी प्ररूप भी है, जो वहित किया जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन परिवाद की प्राप्ति पर जिला आयोग आदेश द्वारा परिवाद

पर कार्रवाई करना अनुज्ञात करेगा या उसे अस्वीकार कर सकेगा :

परंतु इस धारा के अधीन किसी परिवाद को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक परिवादकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि किसी परिवाद की साधारणतया ग्राह्यता का विनिश्चय उस तारीख से जिसको परिवाद फाइल किया गया था, 21 दिन के भीतर होगी ।

(4) जहां जिला आयोग उपधारा (3) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी परिवाद की ग्राह्यता के मुद्दे का विनिश्चय नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसे ग्रहण कर लिया गया है, सिवाय उस दशा में जहां परिवादकर्ता परिवाद फाइल करने की तारीख से 21 दिन की अवधि के भीतर ग्राह्यता की सुनवाई करने के लिए नियत दिन को जिला आयोग के समक्ष बिना किसी युक्तियुक्त आधार के उपस्थित रहने में असफल रहता है :

परंतु परिवादकर्ता बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपस्थित होने में असफल रहता है तो परिवाद की ग्राह्यता का विनिश्चय उपलब्ध कागजपत्रों के आधार पर नियत की जाएगी या यदि ग्राह्यता की अंतिम सुनवाई की तारीख से अगले 21 दिन के भीतर ग्राह्यता की सुनवाई के लिए कोई और तारीख नियत नहीं की जाती है तो परिवाद को 21 दिन की अवधि के अवसान पर ग्राह्य मान लिया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि परिवाद इलैक्ट्रानिकी रूप से फाइल किया गया है और परिवादकर्ता की भौतिक उपस्थिति ग्राह्यता के मामले का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक नहीं होगी और सिवाय तब जब ऐसे मामले की ग्राह्यता का विनिश्चय 21 दिन के भीतर कर लिया जाता है तो परिवाद को परिवाद फाइल करने से 21 दिन के पश्चात् ग्राह्य मान लिया जाएगा ।

(5) जहां किसी परिवाद पर उपधारा (3) के अधीन या उपधारा (4) के अधीन अग्रिम कार्रवाई करने को अनुज्ञात किया जाता है, जिला आयोग इस अधिनियम में उपबंधित रीति में परिवाद पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा :

परंतु जहां कोई परिवाद जिला आयोग द्वारा ग्राह्य किया जाता है उसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकरण को अंतरित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम" से कंपनी अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम अभिप्रेत है ।

2013 का 18

परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया ।

33. (1) जिला आयोग किसी परिवाद को ग्रहण करने पर, यदि वह निम्नलिखित किन्हीं वस्तुओं से संबंधित है,--

(क) ग्रहण किए गए परिवाद की एक प्रति उसके ग्रहण करने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर परिवाद में वर्णित विरोधी पक्षकार को यह निदेश देते हुए निर्देशित करेगा कि वह तीस दिन की अवधि या पन्द्रह से अनधिक ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो जिला आयोग द्वारा मंजूर की जाए, मामले के बारे में अपना

पक्ष कथन प्रस्तुत करे ;

(ख) जहां विरोधी पक्षकार खंड (क) के अधीन उसकी निर्दिष्ट किसी परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है, या जिला आयोग द्वारा दिए गए समय के भीतर अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्रवाई करने का लोप करता है या करने में असफल रहता है वहां जिला आयोग उपभोक्ता विवाद को खंड (ग) से खंड (छ) में विनिर्दिष्ट रीति में निपटाने के लिए कार्यवाही करेगा ;

(ग) जहां परिवादी ने माल में किसी ऐसी त्रुटि का अभिकथन किया है, जिसका अवधारण माल के उचित विश्लेषण या परीक्षण के बिना नहीं किया जा सकता है वहां जिला आयोग परिवादी से माल का नमूना अभिप्राप्त करेगा, उसे सीलबंद करेगा और विहित रीति में अधिप्रमाणित करेगा और इस प्रकार सीलबंद नमूने को इस निदेश के साथ समुचित प्रयोगशाला को निर्देशित करेगा कि ऐसी प्रयोगशाला यह पता लगाने की दृष्टि से ऐसे विश्लेषण या परीक्षण, जो भी आवश्यक हो, करे कि ऐसे माल में परिवाद में अभिकथित कोई त्रुटि है या नहीं अथवा माल में कोई अन्य त्रुटि है या नहीं और उस पर अपनी रिपोर्ट निर्देश की प्राप्त के पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिला आयोग द्वारा मंजूर की गई हो, जिला आयोग को भेजेगा ;

(घ) खंड (ग) के अधीन किसी समुचित प्रयोगशाला को माल के किसी नमूने को निर्दिष्ट किए जाने से पूर्व, जिला आयेग परिवादी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रश्नगत माल के संबंध में आवश्यक विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए समूचित प्रयोगशाला को संदाय के लिए ऐसी फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग के जमा खाते में जमा करे ;

(ड.) जिला आयोग समुचित प्रयोगशाला को खंड (घ) के अधीन अपने जमा खाते में जमा की गई रकम को प्रेषित करेगा जिससे कि वह खंड (ग) में वर्णित विश्लेषण या परीक्षण करके उसे समर्थ बनाया जा सके और समुचित प्रयोगशाला से रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर जिला आयोग विरोधी पक्षकर को ऐसी टिप्पणी जो वह समुचित समझे, के साथ रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करेगा ;

(च) यदि पक्षकारों में से कोई पक्षकर समुचित प्रयोगशाला के निष्कर्षों की शुद्धता पर विवाद करते हैं या समुचित प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विश्लेषण या परीक्षा की पद्धतियों की शुद्धता पर विवाद करते है तो जिला आयोग विरोधी पक्षकार या परिवादी से यह अपेक्षा करेगा कि वह समुचित प्रयोगशाला द्वारा की गई रिपोर्ट के संबंध में अपने आक्षेप लिखित में प्रस्तुत करें ;

(छ) तत्पश्चात् समुचित प्रयोगशाला द्वारा की गई रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा के बारे में विरोधी पक्षकार को सुने जाने और खंड (ट) के अधीन उसके संबंध में किए गए आक्षेप तथा धारा 35 के अधीन समुचित आदेश जारी करने के बारे में भी युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(2) यदि धारा 32 के अधीन उसके द्वारा स्वीकार किया गया परिवाद उस वस्तु से संबंधित है जिसके संबंध में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता या यदि किन्हीं सेवाओं से संबंधित है, तो जिला आयोग--

(क) विरोधी पक्षकार को ऐसी परिवाद की एक प्रति उसे यह निदेश देते हुए भेजेगा कि वह तीस दिन की अवधि जो जिला आयोग द्वारा मंजूर की जाए, के भीतर मामले का अपना कथन प्रस्तुत करें ;

(ख) जहा विरोधी पक्षकार, खंड(क) के अधीन उसे निर्दिष्ट की गई परिवाद की प्रति के प्राप्त हो जाने पर, परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है या उनपर विवाद करता है या जिला आयोग द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर अपने मामले का व्यपदिष्ट करने के किए कोई कार्रवाई नहीं करता है या कार्रवाई करने में असफल रहता है जिला आयोग उपभोक्ता विवाद का निपटान--

(i) जहा विरोधी पक्षकार परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है या उन पर विवाद करता है या परिवादी और विरोधी पक्षकार द्वारा उसके ध्यान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर वहां लगेगा ।

(ii) जहां विरोधी पक्षकार आयोग द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर अपना मामला व्यपदिष्ट नहीं करता हैं या करने में असफल रहता है वहां परिवादी द्वारा उसके ध्यान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही करेगा ।

(ग) जहां शिकायतकर्ता जिला आयोग के समक्ष सुनवाई की तारीख को उपसंजात होने में असफल रहता है, वहां जिला आयोग गुणावगुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा ।

(3) इलेक्ट्रानिक मध्यस्थ ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख प्रदान करेगा जिनकी इस धारा की उपधारा (1) और उपधारा(2) के अधीन प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए जिला आयोग द्वारा लिखित आदेश में युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाए।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करनेवाली कार्यवाहियों को इस आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन नहीं किया गया है ।

(5) जिला आयोग द्वारा साधारणतया प्रत्येक परिवार का निपटान शपथ पत्र और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा :

परंतु पक्षकारों की सुनवाई या जांच को वहां अनुज्ञात किया जाएगा जहां पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है और कारणों को जिला आयोग द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा ।

(6) प्रत्येक परिवाद पर यथासंभव शीघ्र सुनवाई की जाएगी और विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर परिवाद को विनिश्चित करने का वहां प्रयास किया जाएगा जहां परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा नहीं की जाती है और पांच मास के भीतर यदि इसके वस्तुओं के विश्लेषण या

परीक्षण की अपेक्षा की जाती है :

परन्तु जिला आयोग द्वारा स्थगन मामूली तौर पर तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जबतक पर्याप्त हेतुक नहीं दर्शाया जाता है और स्थगन की मंजूरी के कारणों का आयोग द्वारा लाव बंद नहीं कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि जिला आयोग स्थगन द्वारा कार्यरत खर्चों के बारे में ऐसे आदेश करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में उपबंधित किए गए ।

परन्तु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् किसी परिवाद के निपटान किए जाने की में जिला आयोग उक्त परिवाद के निपटारे के समय उस के लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

(7) जहां जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, आयोग को यह आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसा अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित और उचित हो ।

(8) इस धारा के प्रयोजनार्थ जिला आयोग को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात् :-- 1908 का 5

(i) किसी प्रतिवादी या साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर साक्षी की परीक्षा करना ;

(ii) साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या अन्य तात्विक वस्तु के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(iv) समुचित प्रयोगशाला से या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से संबद्ध विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट की अपेक्षा करना ;

(v) किसी साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, और

(vi) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(9) किसी जिला आयोग में विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत की जाने वाली या की गई किसी उपस्थिति, आवेदन या कृत्य को किसी पक्षकार द्वारा किया जाएगा सिवाय वहां जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंध किया गया हो कि वह पक्षकार द्वारा वैयक्तिक रूप से या यथास्थिति इस निमित्त उपस्थित होने वाले, आवेदन करने वाले या कृत्य करने वाले उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा या किसी अधिवक्ता द्वारा की जाएगी :

परंतु ऐसी कोई हाजिरी, यदि जिला आयोग इस प्रकार निदेश दे, तो पक्षकार द्वारा वैयक्तिक रूप से की जाएगी ।

(10) जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और जिला आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय 1860 का 45 1974 का 2

समझा जाएगा ।

(11) जहां परिवादी धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट
1908 का 5 उपभोक्ता है, वहा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश I के नियम 8 के उपबंध इस उपांतरण के अध्यधीन लागू होंगे कि किसी वाद या डिक्री के प्रति उसमें प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह परिवाद या उस पर जिला आयोग के आदेश के प्रति निर्देश है ।

(12) किसी परिवादी जो उपभोक्ता है या विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध परिवाद
1908 का 5 फाइल किया गया है, कि मृत्यु की दशा में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 के उपबंध इस उपांतरण के अध्यधीन लागू होंगे कि वादी और प्रतिवादी के प्रति उसमें किया गया प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, परिवादी या विरोधी पक्षकार के प्रति निर्देश है ।

मध्यकता के प्रति निर्देश ।

34. (1) जिला आयोग, परिवाद के ग्रहण किए जाने के पश्चात्, परिवादी की प्रथम सुनवाई पर या कार्यवाहियों के दौरान किसी भी प्रक्रम पर, यदि आयोग को यह प्रतीत होता है कि समझौता का ऐसा तत्व विद्यमान है जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो मामलों जिनमें जीवन के लिए गंभीर धमकी और गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति अन्तवर्लित है, में के सिवाय अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन विनिर्दिष्ट मध्यस्था द्वारा विवाद के निपटारे का विकल्प चुनने के लिए पक्षकारों को निदेश देगा ।

(2) जिला आयोग उपधारा (1) के अधीन विकल्प लेने के लिए पक्षकारों के निदेश देने से पूर्व ऐसा मार्गदशर्न प्रदान करेगा जो वह मध्यस्था द्वारा विवाद के निपटारे के लिए विकल्प चुनने के संबंध में ठीक समझे ।

(3) जहां परिवाद के सभी पक्षकार मध्यस्था का विकल्प चुनते हैं और उसके लिए सहमत होते है वहां वे उपधारा (1) के अधीन दिए गए निदेश के पांच दिन के भीतर आयोग को आवेदन करेंगे, आयोग आवेदन के पांच दिन के भीतर मध्यस्था द्वारा निपटाए जाने वाले विषय को निर्दिष्ट करेगा और अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंध लागू होंगे :

परन्तु जिला आयोग, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिवाद के सभी पक्षकारों की लिखित सहमति के बिना किसी विवाद को मध्यस्थता को निर्दिष्ट नहीं करेगा ।

जिला आयोग का निष्कर्ष ।

35. (1) यदि धारा 32 के अधीन संचालित कार्यवाही के पश्चात् जिला आयोग का यह समाधान उस मामले में जिसके बारे में परिवाद किया गया है, परिवाद में विनिर्दिष्ट त्रुटियों में से किसी त्रुटि से ग्रस्त है या सेवाओं के बारे में शिकायत में अन्तर्विष्ट कोई अभिकथन या कोई अनुचित व्यापार व्यवहार साबित हो गया है तो वह विरोधी पक्षकार निम्नलिखित में एक या अधिक बातें करने का निदेश देने वाला आदेश जारी कर सकेगा, अर्थात :--

(क) प्रश्नगत माल में से समुचित प्रयोगशाला द्वारा प्रकट की गई त्रुटि को दूर करना ;

(ख) माल को उसी वर्णन के नए और त्रुटिहीन माल से बदलना;

(ग) परिवादी द्वारा सदंत्त, यथास्थिति, कीमत या प्रभारों को ऐसी कीमत या

प्रभारों, जो विनिश्चित की जाए, पर ब्याज सहित परिवादी को वापस लौटाना ;

(घ) ऐसी रकम का संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि या क्षति के लिए उपभोक्ता को प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत किया जाए :

परंतु जिला आयोग को ऐसी परिस्थितियों में जो वह ठीक समझे दंडात्मक नुकसानियों को मंजूर करने की शक्ति होगी ;

(ङ) प्रश्नगत माल में त्रुटियों या सेवाओं में कमियों को दूर करना ;

(च) अनुचित व्यापार व्यवहार का बंद करना या उसे पुनः नहीं दोहराना ;

(छ) विक्रय के लिए परिसंकटमय या असुरक्षित माल की प्रस्थापना न करना ;

(ज) विक्रय के लिए प्रस्थापना किए जा रहे परिसंकटमय माल को वापस लेना ;

(झ) परिसंकटमय माल का विनिर्माण बंद करना और ऐसी सेवाएं प्रदान करना बंद करना, जो परिसंकटमय प्रकृति की है ;

(ञ) ऐसी धनराशि का संदाय करना जो उसके द्वारा अवधारित की जाए यदि उसकी राय है कि हानियां क्षति ऐसे असंख्य उपभोक्ताओं द्वारा सहन की गई जो सुविधाजनक रूप से पहचानने योग्य नहीं है :

परंतु इस प्रकार संदेय धन राशि की न्यूनतम रकम, ऐसे उपभोक्ताओं को, यथास्थिति, विक्रीत त्रुटिपूर्ण माल या प्रदान की गई सेवा के मूल्य का कम से कम पच्चीस प्रतिशत है :

परंतु यह और कि इस प्रकार अभिप्राप्त की गई रकम ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में जमा की जाएगी और ऐसी रीति में उपयोग की जाएगी जो विहित की जाए ;

(ट) सुधारक विज्ञापन निकालना जिससे ऐसे भ्रामक विज्ञापन निकालने के लिए जिम्मेदार विरोधी पक्षकार के खर्च पर भ्रामक विज्ञापन को निष्प्रभाव किया जा सके,--

(i) पक्षकारों को पर्याप्त खर्च प्रदान करना ;

(ii) पक्षकारों द्वारा विज्ञापन वापस लेने को प्रवृत्त करना ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही जिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा और कम से कम उसके एक सदस्य के साथ बैठकर संचालित की जाएगी :

परंतु जहां अध्यक्ष किसी कारणवश कार्यवाही संचालित करने में असमर्थ है या अवकाश पर या अन्यथा हैं तो वहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस जिले में ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाए, अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य जिला आयोग को प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु यह और कि जहां सदस्य, किसी कारणवश किसी कार्यवाही को उसके पूरा होने

तक संचालित करने में असमर्थ है तो, अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस प्रक्रम से कार्यवाही जारी रखेगा जिस पर उसे पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा अंतिम बार सुना गया था ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जिला आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके अध्यक्ष और सदस्य या सदस्यों द्वारा, जिन्होंने कार्यवाही संचालित की थी, हस्ताक्षरित किया जाएगा :

परंतु जहां कार्यवाही अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा संचालित की जाती है और उनमें किसी मुद्दे या मुद्दों पर मतभेद है, तो वहां वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए उसे किसी अन्य सदस्य को निर्दिष्ट करेंगे और बहुमत की राय जिला आयोग का आदेश होगा :

परंतु यह और कि अन्य सदस्य ऐसे निर्देश की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उसे निर्दिष्ट ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर अपनी राय देगा ।

जिला आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।

36. जिला आयोग के आदेश से व्यथित कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है ; ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर जिला आयोग के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा :

परंतु जिला आयोग को केवल उस समय जब अभिलेख पर कोई स्पष्ट समय हो अपने आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील ।

37. जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग को तथ्यों या विधि के आधार पर आदेश की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में अपील कर सकेगा जो विहित की जाए :

परंतु यह कि धारा 71 के अधीन जिला आयोग द्वारा पारित किसी आदेश से पक्षकारों के बीच समझौता होने के पश्चात् कोई अपील नहीं की जाएगी

परंतु यह और कि राज्य आयोग तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि में अपील फाइल न करने के पर्याप्त कारण थे :

परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति की, जिससे जिला आयोग के आदेश के निबंधनों में किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा है, कोई अपील राज्य आयोग द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी ने विहित रीति में उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया है ।

राज्य आयोग की संरचना ।

38. (1) प्रत्येक राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--

(क) कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई, उसका अध्यक्ष होगा :

परंतु इस खंड के अधीन कोई नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात् की जाएगी अन्यथा नहीं ;

(ख) कम से कम चार और ऐसे सदस्यों की संख्या, जो विहित की जाए, से अनधिक और जिनमें से एक सदस्य महिला होगी, जिसकी निम्नलिखित अर्हताएं

होंगी, अर्थात् :--

(i) चालीस वर्ष से कम की आयु का न हो ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखता हो ;

(iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव वाले व्यक्ति हो और जिनको अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, उपभोक्ता मामले या प्रशासन से संबंधित समस्याओं पर कार्रवाई करने में कम से कम दस वर्ष का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो :

परंतु कोई व्यक्ति एक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा यदि--

(क) उसे राज्य सरकार की राय में किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ख) जो अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) जो विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ; या

(घ) उसे सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है ; या

(ङ) वह राज्य सरकार की राय में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों का उसके द्वारा निर्वहन किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(च) ऐसी अन्य निरर्हताएं रखता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की नियुक्ति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, अर्थात् :--

(i) राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सम्यकतः नामनिर्देशित किया गया हो – अध्यक्ष;

(ii) राज्य के विधि विभाग का सचिव – सदस्य ;

(iii) राज्य में उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग का भारसाधक सचिव – सदस्य ।

(3) राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(4) राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि तक या सड़सठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा :

परंतु कोई सदस्य पांच वर्ष की एक अन्य अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए पात्र होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तों को पूरा

करता हो और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है :

परन्तु यह और कि राज्य आयोग के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में उपबंधित रीति में पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा :

परन्तु यह भी कि कोई सदस्य राज्य सरकार को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर, उसका पद रिक्त हो जाएगा और वह ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जिसके पास ऐसे किसी सदस्य के प्रवर्ग के संबंध में ऐसे व्यक्ति जिसने त्याग पत्र दिया है, के स्थान पर उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया जाना है, उपधारा (1) में वर्णित अर्हताओं में से कोई अर्हता है ।

(5) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी पदावधि पूरा होने तक पद धारण करता रहेंगा ।

(6) राज्य आयोग का अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में पद पर न रह जाने पर, राज्य में उस राज्य आयोग या किसी जिला आयोग के समक्ष उपसंजात, नहीं होगा, कार्य या अभिवाक् नहीं करेगा जिसका वह राज्य आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य रह चुका था ।

राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी ।

39. (1) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उसके कृत्यों को निर्वहन करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करेगा और वह आयोग को ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वह ठीक समझें ।

(2) राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

राज्य आयोग की अधिकारिता ।

40. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग को निम्नलिखित की अधिकारिता होगी--

(क) (i) उन परिवादों को ग्रहण करना जिनमें परिवाद में दावा किए गए माल या सेवाओं का घोषित मूल्य पचास लाख रूपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक नहीं है या उक्त मूल्य जो विहित किया जाए की सीमा से तीन गुणा तक ;

(ii) राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें ; और

(ख) जहां राज्य आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे जिला आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने वह कार्य

अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए किया है या तात्विक अनियमितता से किया है तो वहां किसी उपभोक्ता विवाद में, जो राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के समक्ष लंबित है या जिसका विनिश्चय उसके द्वारा किया गया है, अभिलेखों को मंगाना और समुचित आदेश पारित करना ।

(2) परिवाद ऐसे राज्य आयोग में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर--

(क) विरोधी पक्षकार या जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहां विरोधी पक्षकारों में उनमें से प्रत्येक पक्षकार परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वंय काम करता है ; या

(ख) यहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहां विरोधी पक्षकारों में से कोई भी विरोधी पक्षकार परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वंय काम करता हैं, परन्तु यह तब जब ऐसे मामलें में राज्य आयोग की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, या

(ग) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है ;

(घ) परिवादी निवास करता है या काम करता है ।

मामलों का अंतरण ।

41. राज्य आयोग परिवादी के आवेदन किए जाने पर या अपनी स्वप्रेरणा से कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर राज्य के भीतर जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद का, यदि न्याय के हित में ऐसी अपेक्षा की जाती है, अंतरण कर सकेगा ।

सर्किट न्यायपीठ ।

42. राज्य आयोग राज्य की राजधानी में मामूली तौर पर कार्य करेगा परन्तु अपने कृत्यों का ऐसे अन्य स्थान पर पालन कर सकेगा जो राज्य आयोग एक विशिष्ट जिले से लंबित मामलों की संख्या पर निर्भर करते हुए समय-समय पर विनिश्चय करें ।

राज्य आयोग को लागू प्रक्रिया ।

43. जिला आयोग परिवादों के निपटान के लिए धाराओं के उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम, ऐसे उपांतरणों सहित जो आवश्यक हों, राज्य आयोग द्वारा विवादों के निपटान को लागू होंगे ।

राष्ट्रीय आयोग को अपील ।

44. (1) राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा :

परंतु यह कि राष्ट्रीय आयोग तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् तब तक कोई अपील स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के पर्याप्त कारण थे :

परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति की, जिससे राज्य आयोग के आदेश के निबंधनों में किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा है, कोई अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी ने विहित रीति में उस रकम का पचास

प्रतिशत जमा नहीं कर दिया है ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित किसी आदेश से राष्ट्रीय आयोग में अपील की जाएगी यदि राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी पक्षीय आदेश से राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन किसी अपील में अपील ज्ञापन में अपील में अंतवर्लित विधि के सारवान प्रश्न का सही रूप से कथन किया जाएगा ।

(5) जहां राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतवर्लित है, यह उस प्रश्न की विरचना करेगा ।

(6) अपील इस प्रकार विरचित प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई के पश्चात् यह तर्क करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतवर्लित नहीं है:

परंतु इस उपधारा की कोई बात राष्ट्रीय आयोग की कारणों को लेखबद्ध करते हुए विधि के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को लेने या शक्ति का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्लित है ।

अपील की सुनवाई ।

45. राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल की गई अपील पर यथा संभव शीघ्र सुनवाई की जाएगी और अपील को उसके ग्रहण किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अन्तिम रूप से निपटान करने के लिए प्रयास किया जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा कोई आस्थगन मामूली तौर पर मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे आयोग द्वारा पर्याप्त कारण न दर्शाया गया हो और आस्थगन की मंजूरी के लिए कारण अभिलिखित न किए गए हो ;

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग आस्थगन द्वारा उद्भूत खर्चों के बारे में ऐसे आदेश करेगा जिनका इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए :

परन्तु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् अपील के निपटान किए जाने की दशा में, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उक्त अपील के निपटारे के समय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

राज्य आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।

46. राज्य आयोग के ऐसे आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर जिला आयोग के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा :

परन्तु राज्य आयोग को उस समय जब अभिलेख को देखने पर कोई गलती है तब उसके द्वारा किए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

राष्ट्रीय आयोग की संरचना और शक्तियां ।

47. (1) राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, उसका अध्यक्ष होगा :

परन्तु इस खंड के अधीन नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ख) कम से कम पंद्रह और ऐसे सदस्यों की संख्या से अनधिक ऐसे सदस्य, जो विहित की जाए, जिनमें से एक सदस्य महिला और जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक का एक एक सदस्य होगा जिनकी निम्नलिखित अर्हताएं होगी,--

(i) पैंतालीस वर्ष से कम आयु के न हों ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि रखते हों ;

(iii) योग्य, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हों और जिनको अर्थशास्त्र, विधि या वाणिज्य या लेखाकर्म या उद्योग या उपभोक्ता मामलें या प्रशासन से संबंधित समस्याओं से निपटने का कम से कम बीस वर्ष का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में कम से कम सचिव या उसके समतुल्य का पद धारण कर चुका हो या समतुल्य स्तर पर किसी जिला न्यायालय या किसी अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि का न्यायिक अनुभव हो :

परन्तु वह व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए या उस रूप में बने रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह--

(क) ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें केंद्रीय सरकार राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है;

(ख) अनुन्मोचित दीवालिया है ; या

(ग) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियत्रंणाधीन किसी निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है ; या

(ङ) केंद्रीय सरकार की राय में उसका ऐसे वित्तीय या अन्य हित है जिससें सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निवर्हन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(च) केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाने वाली कोई अन्य अर्हताएं रखता है :

परन्तु यह भी कि इस खंड के अधीन प्रत्येक नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,

अर्थात् :–

(क) एक ऐसा व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा – अध्यक्ष

(ख) भारत सरकार में विधि कार्य विभाग का सचिव – सदस्य ;

(ग) भारत सरकार में उपभोक्ता मामलों के बारे में कार्यवाही करने वाले विभाग का सचिव – सदस्य ।

(2) राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परंतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी पदावधि पूरा होने तक ऐसा पद धारण करता रहे ।

(3) राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई सदस्य पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा कि वह उपधारा 1 के खंड (क) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तों को पूरा करता है और ऐसी पुन:नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति उपधारा 1 के खंड (क) में उपबंधित रीति में पुन:नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा :

परन्तु यह भी कि कोई सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा और वह पद ऐसे सदस्य के प्रवर्ग से संबंधित उपधारा (1) में वर्णित अर्हताओं में से कोई अर्हता रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भारा जाएगा जिसे उस व्यक्ति के स्थान पर जिसने त्यागपत्र दिया है उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया जाना अपेक्षित है ।

(4) राष्ट्रीय आयोग का कोई सदस्य, जब उसकी पदावधि समाप्त हो जाए, तो वह राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग या जिला आयोग के समक्ष उपसंजात नहीं होगा, कोई कार्रवाई या अभिवाक नहीं करेगा ।

राष्ट्रीय आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी ।

48. (1) केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रीय आयोग की सहायता करने के लिए ऐसे संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो अपने कृत्यों के निर्वहन में ठीक समझें ।

(2) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग के साधारण अधीक्षण् के अधीन अपने कृत्यों का निवर्हन करेंगे और भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे ।

1860 का 45

(3) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता ।

49. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आयोग के पास,--

(क) (i) उन मामलों में जहां दावा किए गए माल या सेवाओं का घोषित मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक है, परिवाद या उक्त मूल्य जो विहित किया जाए की सीमा से तीन गुणा तक ; और

(ii) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनने की अधिकारिता होगी; और

(ख) ऐसे किसी उपभोक्ता संबंधी विवाद के मामले में, जो किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है या जिसका विनिश्चय उसके द्वारा किया गया है और जहां राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे राज्य आयोग में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं की गई है या वह इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से या सारवान् अनियमितितापूर्वक कार्रवाई की है, अभिलेख मंगाने और उपयुक्त आदेश पारित करने की शक्ति होगी ।

(2) राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, शक्तियां तथा प्राधिकारी का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा,--

(i) अध्यक्ष द्वारा किसी न्यायपीठ का गठन एक या अधिक सदस्यों से ऐसा अध्यक्ष ठीक समझें किया जा सकेगा :

परंतु न्यायपीठ का ज्येष्ठतम सदस्य, न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा ।

(ii) यदि न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है तो उन मुद्दों का विनिश्चय, यदि बहुमत है बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा किन्तु यदि सदस्य समान रूप से बंटे हुए है तो उस मुद्दें या मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर मतभेद हैं और उन्हें अध्यक्ष को निर्देशित करेंगे जो या तो स्वंय उस मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई करेगा या मामलें को ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर एक या अधिक या अन्य सदस्यों द्वारा सुनवाई के लिए निर्देशित करेगा और ऐसे मुद्दें या मुद्दों का विनिश्चय उन सदस्यों की बहुमत राय के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामलें की सुनवाई की है और जिनमें वे सदस्य भी सम्मिलित हैं जिन्होंने इसकी प्रथम बार सुनवाई की थी :

परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य ऐसे निर्देश की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उसको या उनको निर्दिष्ट मुद्दें या मुद्दों पर अपनी राय देगा या देंगें ।

राष्ट्रीय आयोग की शक्ति और उसको लागू प्रक्रिया ।

50. (1) आयोग द्वारा धारा 32, धारा 33, धारा 34 और धारा 35 के अधीन नियमों के परिवादों के निपटारे संबंधी उपबंध ऐसे उपांतरणों सहित, जिन्हें आयोग आवश्यक समझें, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवादों के निपटान को लागू होंगे ।

(2) राष्ट्रीय आयोग को उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना उसके द्वारा किए गए किसी आदेश का, जहां अभिलेख को देखने से ही प्रकट त्रुटि हो, पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

एकपक्षीय आदेश अपास्त करने की शक्ति ।

51. जहां आदेश, यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या किसी परिवादी के विरूद्ध राष्ट्रीय आयोग द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है तो व्यथित पक्षकार न्याय के हित में उक्त आदेश को अपास्त् करने के लिए आयोग को आवेदन कर सकेगा ।

मामलों का अन्तरण ।

52. राष्ट्रीय आयोग परिवादी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर न्याय के हित में एक राज्य के जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य के जिला आयोग या एक राज्य आयोग से दूसरे राज्य आयोग को अंतरित कर सकेगा ।

सर्किट न्याय पीठें ।

53. राष्ट्रीय आयोग साधारणत: नई दिल्ली में कार्य करेगा और वह ऐसे अन्य स्थानों पर अपने कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग समय समय पर विनिश्चय करें ।

आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति ।

54. जहां यथास्थिति जिला राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो या ऐसा पद धारण करने वाला व्यक्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्त्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है तो वहां यथास्थिति जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के ज्येष्ठतम् सदस्य द्वारा उनका पालन किया जाएगा ।

आयोग की विशेषज्ञों द्वारा सहायता ।

55. जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग किसी परिवादी या अन्यथा द्वारा आवेदन किए जाने पर, की यह राय है कि उसमें उपभोक्ताओं का बड़ा हित अंतर्वलित है तो वह, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन या विशेषज्ञ निदेश दे सकेगा ।

अपील ।

56. धारा 49 के खंड (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा किए गए आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग के ऐसे आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परंतु उच्चतम न्यायालय तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील की सुनवाई कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था ।

परंतु यह और कि किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय आयोग के आदेश के निबंधनानुसार में किसी रकम का संदाय करने के लिए अपेक्षित सुनवाई किसी व्यक्ति की जाती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा तब ग्रहण की जाएगी, यदि उस व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय में विहित रीति में उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं किया है ।

आदेशों की अंतिमता ।

57. जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक आदेश, यदि इस आदेश के उपबंधों के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है, तो ऐसा आदेश अंतिम होगा ।

परिसीमा अवधि ।

58. (1) जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कोई परिवाद स्वीकार नहीं करेगा, यदि यह उस तारीख से जिसको वाद हेतुक उद्भूत हुआ है, दो वर्ष की अवधि के

भीतर फाइल नहीं की जाती है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में विर्निदिष्ट अवधि के पश्चात् परिवाद् स्वीकार किया जा सकेगा, यदि, परिवाद यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद फाइल न करने का पर्याप्त कारण था :

परंतु यह कि ऐसा कोई परिवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग, ऐसी देरी को क्षमा करने के कारणों का अभिलेखबद्ध नहीं करता ।

प्रशासनिक नियंत्रण ।

59. राष्ट्रीय आयोग, ऐसे पर्याप्त मानक अधिकथित करने का केंद्रीय प्राधिकार रखेगा, जो अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए उपबंध करें तथा उस प्रयोजन के लिए सभी राज्य आयोगों पर निम्नलिखित विषयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगी, अर्थात् :--

(क) संस्था मामलों के निपटारे और लंबन के संबंध में कालिक विवरणियां मंगाकर उनके निपटारे के निबंधनानुसार राज्य आयोग के निष्पादन को मानीटर करना;

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध किन्हीं आरोपों का अन्वेषण करना और आवश्यक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए संबंधित राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) मामलों की सुनवाई में एकीकृत प्रकिया अंगीकार करने, एक पक्षकार द्वारा विरोधी पक्षकार को प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों की पूर्व तामील, किसी भाषा में लेखबद्ध निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद करना, दस्तावेजों की प्रतियों को त्वरित अनुदत्त करने के संबंध में निदेश जारी करना ;

(घ) राज्य आयोग या जिला आयोग के कृत्यों का सर्वेक्षण या तो निरीक्षण द्वारा या किसी अन्य तरीके से, जैसा अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण हों और अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए मानक उनकी अर्धन्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना कार्यान्वित हों, करना ।

(2) प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य आयोग के कृत्यों के सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली मानीटरी सैल होगी ।

(3) राज्य आयोग उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी मामलों में इसकी अधिकारिता के भीतर सभी जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

(4) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग के विभिन्न कृत्यकारियों, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी हैं, के निष्पादन तथा उपभोक्ता आयोग से संबंधित अन्य विषयों पर ऐसे मानक अधिसूचना द्वारा अधिकथित कर सकेगी, जो आवश्यक समझे जाएं, तथा उपभोक्ता के हितों का वर्धन करने, उनके अधिकारों का संरक्षण करने तथा उपभोक्ता आयोग में उन्हें त्वरित, सस्ता और सरल

न्याय देने के लिए पर्यवेक्षक करेगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार की साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कालिक रूप से या जब कभी आवश्यक हो, कोई सूचना राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत कर सकेगा, जो विहित किया जाए, जिसके अंतर्गत लंबित मामले भी हैं ।

(6) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कालिक रूप से या जब कभी आवश्यक हो, कोई सूचना राज्य आयोग या जिला आयोग से ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत कर सकेगी जो विहित किया जाए, जिसके अंतर्गत लंबित मामले भी हैं ।

जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन ।

60. (1) जिला आयोग राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश इसके द्वारा उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा, मानो वह न्यायालय में लंबित वाद में की गई डिक्री हो, और जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि इसके ऐसे आदेश को निष्पादन करने में अक्षमता की स्थिति में, विधि और प्राधिकारियों को आदेश के निष्पादन के लिए आवश्यक निदेश पारित करने के लिए, उस न्यायालय को भेजे, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर,--

(क) किसी कंपनी के विरुद्ध आदेश मामले में, कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आदेश के मामले में, वह स्थान, जहां संबंधित व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक निवास करता हे या कारबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, स्थित है ।

(2) जहां, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है वहां, आदेश का अनुपालन न करने वाले ऐसे व्यक्ति से, अधिर्निणीत रकम के संदाय के अतिरिक्त, पांच सौ रुपए से अन्यून या अधिर्निणीत रकम के मूल्य का आधा प्रतिशत, जो भी अधिक हो, आदेश के ऐसे अननुपालन में देरी के प्रत्येक दिन के लिए, जब तक यह संदत्त नहीं किया जाता, देना अपेक्षित होगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश का, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है वहां, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कुर्क किए जाने वाले ऐसे आदेश का अननुपालन करने वाले व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई कुर्की तीन मास से अधिक के लिए प्रवृत्त रहेगी जिसकी समाप्ति पर यदि अननुपालन जारी रहता है तो कुर्क संपत्ति को विक्रीत किया जा सकेगा और उसके आगमों में से जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग शिकायतकर्ता को ऐसी नुकसानी अधिनिर्णीत कर सकेगा जो वह ठीक समझे और उसके लिए हकदार पक्षकार को अतिशेष, यदि कोई है, का संदाय करेगा ।

(5) जहां, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति से कोई रकम देय है, वहां ऐसी रकम का

हकदार व्यक्ति, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को आवेदन कर सकेगा और ऐसा जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जिला कलक्टर (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) को उक्त रकम के लिए प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और कलक्टर राजस्व बकाया के रूप में उस रकम की वसूली करने के लिए अग्रसर होगा ।

तुच्छ या तंग करने वाले परिवादों को खारिज करना ।

61. जहां, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष संस्थित कोई परिवाद तुच्छ या तंग करने वाला पाया जाता है, वहां वह लिखित में कारण अभिलेखबद्ध करते हुए परिवाद को खारिज करेगा और यह आदेश करेगा कि परिवादी विरोधी पक्षकार को ऐसी लागत का संदाय करेगा, जो पचास हजार रुपए से अधिक नहीं हो, जैसा आदेश में विर्निदिष्ट किया जाए ।

आदेशों के विरुद्ध अपील ।

62. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, तथ्य और विधि दोनों पर अपील निम्नलिखित द्वारा किए गए आदेश से, – 1974 का 2

(क) जिला आयोग द्वारा किए गए आदेश की अपील राज्य आयोग को होगी ;

(ख) राज्य आयोग द्वारा किए गए आदेश की अपील राष्ट्रीय आयोग को होगी ; और

(ग) राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय को होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन के सिवाय, जिला आयोग या राज्य आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश की अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर भी अपील की सुनवाई कर सकेंगे, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील करने का पर्याप्त कारण था ।

अध्याय 5

मध्यकता

उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना ।

63. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आयोग से संलग्न जिला उपभोक्ता मध्यकता सैल तथा राज्य से संलग्न राज्य उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग से संलग्न एक राष्ट्रीय उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना करेगी ।

(3) उपभोक्ता मध्यकता सैल, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जैसा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(4) प्रत्येक मध्यकता सैल--

(क) पैनलित प्रशिक्षित मध्यस्थों की सूची रखेगी ।

(ख) दैनिक आधार पर डाटा रखेगा और, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

मध्यस्थों का पैनलीकरण ।

64. (1) राष्ट्रीय आयोग, परिवाद या कार्यवाहियों में पक्षकारों के बीच मध्यस्थों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करेगा और उसे राष्ट्रीय आयोग के सूचना बोर्ड तथा वेबसाइट पर लगाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तथा दो सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा की जाएगी ।

(3) राज्य आयोग, परिवाद या कार्यवाहियों में पक्षकारों के बीच मध्यस्थों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करेगा और उसे जिला आयोग के सूचना बोर्ड तथा वेबसाइट पर लगाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा दो सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर राज्य आयोग द्वारा की जाएगी ।

(5) जिला आयोग, परिवाद या कार्यवाहियों में पक्षकारों के बीच मध्यस्थों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करेगा और उसे जिला आयोग के सूचना बोर्ड तथा वेबसाइट पर लगाएगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति जिला आयोग के अध्यक्ष तथा दो सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर जिला आयोग द्वारा की जाएगी ।

(7) उन व्यक्तियों की सहमति, जिनके नाम पैनल में सम्मिलित किए जाते हैं, उन्हें पैनलित करने से पूर्व प्राप्त की जाएगी ।

(8) उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन नियुक्त मध्यस्थों का पैनल; पैनलित करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक होगी ।

परंतु पैनलित मध्यस्थ पांच वर्ष के और विस्तार के लिए और अवधि या 70 वर्ष तक आयु होने तक, जो भी पूर्वतर हो, इस शर्त के अधीन पात्र होगा कि वह अध्याय में वर्णित नियुक्ति की अन्य शर्तों को पूर्ण करता हो और ऐसी पुन:नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई हो ।

पैनल से मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए अधिमान ।

65. जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, धारा 64 में निर्दिष्ट मध्यस्थों के पैनल से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते समय, अंतर्वलित उपभोक्ता विवाद (विवादों) को सुलझाने के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करेगा और उन व्यक्तियों को अधिमानता देगा जिनका सफल मध्यकता का सिद्ध रिकॉर्ड हैं या जिनकी मध्यकता में विशेष योग्यता या अनुभव है ।

कतिपय तथ्यों को प्रकट करने का मध्यस्थ का कर्तव्य ।

66. (1) जब कोई व्यक्ति उसके मध्यस्थ के रूप में संभावित पैनलित करने के संबंध में आता है तो वह अपनी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्याय्य संदेह उत्पन्न करने वाली किन्ही परिस्थितियों के बारे में पक्षकारों को लिखित में प्रकटन करेगा ।

(2) प्रत्येक मध्यस्थ अपनी नियुक्ति के समय से और मध्यकता कार्रवाहियों के चलने के दौरान देरी किए बिना पक्षकारों को लिखित में उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं परिस्थितियों की विद्यमान्यता के बारे में प्रकटन करेगा ।

नियुक्ति का प्रतिसंहरण ।

67. धारा 66 के अधीन मध्यस्थ द्वारा दी गई सूचना पर या पक्षकारों अथवा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त किसी अन्य सूचना पर, यदि जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जिसमें परिवाद या कार्यवाही फाइल की जाती है, का ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे और मध्यस्थ की सुनवाई के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि उक्त सूचना से मध्यस्थ की स्वतंत्रता के बारे में न्याय्य संदेह उत्पन्न हुआ है तो वह युक्तियुक्त आदेश द्वारा नियुक्ति को रद्द कर देगा और उसे अन्य मध्यस्थ से परिवर्तित करेगा ।

मध्यस्थ के पैनल से प्रतिसंहरण ।

68. (1) कोई व्यक्ति जिसका नाम धारा 64 में निर्दिष्ट पैनल में रखा जाता है उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग द्वारा हटाया जा सकेगा या उसका नाम उक्त पैनल से हटाया जा सकेगा यदि,--

(क) वह किसी कारण से पदत्याग करता है या पैनल से अपना नाम वापस लेता है ;

(ख) वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है या विकृतचित्त घोषित किया जाता है ;

(ग) वह मध्यकता कार्यवाहियों के चलने के दौरान ऐसा आचरण प्रकट या दर्शित करता है जो मध्यस्थ के लिए अनुचित है ;

(घ) उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग जिसने उसे पैनलित किया है, सूचना की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे, यदि उसका यह समाधान हो जाता है और उसका यह दृष्टिकोण है कि यदि उस व्यक्ति का नाम पैनल में रखना संभव या वांछनीय नहीं है :

परंतु खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन उसका नाम हटाने से पूर्व जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उस मध्यस्थ की सुनवाई करेंगे जिसका नाम पैनल से हटाया जाना प्रस्तावित है और एक युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे ।

(2) मध्यस्थ ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए ।

(3) मध्यस्थ, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा आबद्ध नहीं होगा किन्तु पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं, व्यापार की रुढियों, यदि कोई हों, और विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो द्वारा मार्गदर्शित होगा । 1908 का 5 1872 का 1

मध्यकता की प्रक्रिया ।

69. (1) जहां परिवाद के सभी विवाद्यकों या कार्यवाहियों या कुछ विवाद्यकों के संबंध में पक्षकारों के बीच में कोई करार होता है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और पक्षकारों या उनके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित पक्षकारों का करार मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जाएगा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित व्याख्या पत्र के साथ उसे उस आयोग को

भेजेगा जिसमें परिवाद या कार्यवाही लंबित है ।

(3) जहां विर्निदिष्ट समय सीमा के पूर्व पक्षकारों के बीच कोई करार नहीं होता या जहां मध्यस्थ की यह राय है कि कोई निपटान संभव नहीं है तो वह उसे उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग को लिखित में रिपेार्ट करेगा ।

(4) निपटान के निबंधन और निपटान करार की अंतर्वस्तु निपटान के सभी पक्षकारों द्वारा गोपनीय रखी जाएगी ।

पक्षकारों द्वारा निपटान का आमंत्रण ।

70. (1) वाद का कोई पक्षकार प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यस्थ को नोटिस के साथ कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर अन्य पक्षकार को निपटान का आमंत्रण दे सकेगा ।

(2) वाद का कोई पक्षकार प्रतिकूल प्रभाव डाल कर मध्यस्थ को नोटिस के साथ कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर अन्य पक्षकार को निपटान का आमंत्रण दे सकेगा ।

जिला आयोग द्वारा निपटान को अभिलेखबद्ध करना और आदेश पारित करना ।

71. निपटान की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या लेखबद्ध करते हुए कि पक्षकारों के बीच निपटान हो चुका है और विषय का निपटारा हो गया है, एक आदेश पारित करेगा :

परंतु यदि निपटान परिवाद या कार्यवाही में उद्भूत होने वाले कतिपय विवाद्यकों का निपटारा करता है तो जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग निपटान को नियत तारीख पर अभिलिखित करेगा और अन्य विवाद्यकों पर विनिश्चय करते समय आदेश में उक्त निपटान के निबंधन अंतर्विष्ट करेगा ।

अध्याय 6

उत्पाद दायित्व

उत्पाद उत्तरदायित्व और इसका अन्य विधियों पर प्रभाव ।

72. किसी उत्पाद के विनिर्माण, निर्माण, डिजाइन, सूत्र, तैयारी, सज्जीकरण, परीक्षण, सेवा, चेतावनी, अनुदेश, विपणन पैकेजिंग या लेबलिंग के कारण या इसके परिणामस्वरूप कोई व्यक्तिगत क्षति, मृत्यु या संपत्ति को नुकसान कारित होता है वहां उत्पाद दायित्व कार्य में विनिर्माणकर्ता या उत्पादक, उत्पाद के लिए दायी होगा :

परंतु यह कि किसी उत्पाद दायित्व कार्य में, संबंधित सबूत की अनुपस्थिति में मानसिक परिताप या भावनात्मक नुकसान और समकालीन व्यक्तिगत शारीरिक चोट, बीमारी या मृत्यु सम्मिलित नहीं है ।

उत्पाद के विनिर्माता का दायित्व ।

73. (1) किसी उत्पाद दायित्व कार्य में, विनिर्माता का दावाकर्ता के प्रति दायित्व होगा यदि दावाकर्ता साक्ष्य की प्रबलता द्वारा निम्नलिखित में से सभी को स्थापित कर देता है :--

(क) उत्पाद में विनिर्माण त्रुटि है या विनिर्माण विनिर्दिष्टताओं से विचलन है ;

(ख) उत्पाद का डिजाइन त्रुटिपूर्ण है ;

(ग) उत्पाद अनुचित/ गलत प्रयोग की चेतावनी या खतरे के परिहार्य के लिए सही प्रयोग के पर्याप्त अनुदेशों को पूरा करने में असफल रहा है;

(घ) उत्पाद, विनिर्माता या उत्पाद विक्रेता द्वारा बनाए उत्पाद के संबंध में व्यक्त वारंटी की पुष्टि नहीं करता है;

(ड.) प्रतिवादी उस वास्तविक उत्पाद का विनिर्माता था जो अपहानि का कारण था

जिसके लिए दावाकर्ता प्रतिकरात्मक नुकसानी वसूल करना चाहता है ; और

(च) उत्पाद का खतरनाक पक्ष दावाकर्ता द्वारा सहन की गई अपहानि का संभाव्य कारण था ।

(2) दावाकर्ता साक्ष्य की प्रबलता द्वारा साबित करेगा कि उत्पाद विनिर्माता के नियंत्रण को छोड़ते समय, विनिर्माता तत्विद्यमान वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के प्रकाश में जानता था या युक्तियुक्त रूप से जो उसे जोखिम को जानना चाहिए था जिसने दावाकर्ता की अपहानि की ।

(3) कोई विनिर्माता सामान्य व्यक्ति को साधारण ज्ञान व्यक्ति जो उत्पाद को साधारणत प्रयोग या उपभोग करता है उत्पाद के लक्षण उत्पाद के प्रयोगकर्ता या उपभोक्ता के लिए ज्ञात या खुला और प्रत्यक्ष खतरे के बारे में अनुदेश या चेतावनी के असफल रहने के लिए दायी नहीं होगा या उत्पाद के प्रयोगकर्ता या उपभोक्ता को ज्ञात या खुला और प्रत्यक्ष खतरे के बारे में अनुदेश या चेतावनी ।

(4) विनिर्माता इस धारा के दायित्व के अधीन दायी हो सकेगा यद्यपि वह व्यक्त वारंटी देते समय लापरवाह या कपटपूर्ण व्यवहार में संलिप्त नहीं रहा ।

उत्पाद दायित्व कार्रवाई के अपवाद ।

74. (1) उत्पाद दायित्व कार्रवाई किसी उत्पाद के विक्रेता के विरुद्ध प्रारंभ या जारी नहीं रखी जाएगी यदि चोट, मृत्यु या संपत्ति नुकसान होने के समय उत्पाद का दुरुपयोग परिवर्तित या उपांतरित किया गया था ।

(2) विनिर्माता किसी उत्पाद दायित्व कार्य में जो ठीक चेतावनी या अनुदेश देने में असफल रहने के कारण पर आधारित हो तो दायी नहीं होगा यदि,--

(क) उत्पाद कार्य क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा था और विनिर्माता ने दावाकर्ता के कर्मचारी को चेतावनी या अनुदेश दे दिए थे क्योंकि दावाकर्ता को उनको सीधे संसूचित करने का व्यवहारिक और साध्य माध्यम नहीं था ;

(ख) उत्पाद घटक या सामग्री के रूप में बेचा गया था और विनिर्माता ने विनिर्माता के निकटतम कर्ता को चेतावनी या अनुदेश दे दिए थे और दावाकर्ता ने अन्य उत्पाद में इसके लगने या परिवर्तन के बाद इस घटक या सामग्री को छोड़ दिया था;

(ग) उत्पाद इस प्रकार का था कि इसका विधिक रूप से उपयोग या निस्तारण केवल श्रेणी के विशेषज्ञ के द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन में किया जाना था और विनिर्माता ने उपयोक्ता या पर्यवेक्षण विशेषज्ञ को चेतावनियां या अनुदेश उपलब्ध कराने के लिए सुसंगत रूप से संगठित साधनों का उपयोग किया था ;

(घ) दावाकर्ता मादक एल्कोहल या किसी नाम ओवर काउंटर ओषधि जो दावाकर्ता प्रयोग हेतु फीजिशियन द्वारा विहित नहीं की गई के प्रभाव में था ।

उत्पाद विक्रेता का दायित्व ।

75. (1) कोई उत्पाद दायित्व विनिर्माता से भिन्न उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध निश्चित नहीं किया जब तक कि :--

(i) उत्पाद विक्रेता उत्पाद की डिजाइन, परीक्षण, विनिर्माण, पैकेजिंग या लेबलिंग के पक्ष पर जिसके कारण कथित अपहानि हुई थी जिसके लिए क्षति की भरपाई चाही गई है, सारभूत नियंत्रण किए हुए था ;

(ii) उत्पाद विक्रेता ने उत्पाद को परिवर्तित या उपांतरित किया था और ऐसा परिवर्तन

या उपांतरण अपहानि, जिसके लिए क्षति की भरपाई चाही गई है, होने में सारभूत घटक था ;

(iii) उत्पाद विक्रेता ऐसे उत्पाद के रूप में विनिर्माता द्वारा की गई किसी व्यक्त वारंटी के लिए ऐसे उत्पाद की स्वतंत्र प्रत्यक्ष वारंटी करता है, ऐसा उत्पाद उत्पाद विक्रेता की वारंटी की पुष्टि करने में असफल रहता है और ऐसे उत्पाद की वारंटी की पुष्टि की असफलता दावाकर्ता द्वारा अपहानि शिकायत का कारण है ;

(iv) सम्यक् बुद्धिमत्ता के सद्भाव के बावजूद दावाकर्ता असमर्थ है, विनिर्माता के उत्पाद को पहचानने में ;

(v) विनिर्माता राज्य की विधि के अधीन प्रक्रिया की सेवा में मध्यधीन नहीं है; या

(vi) न्यायालय ने अवधारित कर दिया है कि दावाकर्ता विनिर्माता के विरुद्ध विशियय प्रवर्तित करने में असमर्थ है ;

और ऐसे मामलों में उपरोक्त (i) से (vi) विनिर्दिष्ट दावा विनिर्माता से भिन्न उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध निश्चय किया जाएगा ।

परंतु विनिर्माता से भिन्न उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध खंड (i) से (vi) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे मामलों में केवल दावा प्रख्यान होगा ।

(2) विनिर्माता से भिन्न कोई उत्पाद विक्रेता को दावाकर्ता को लापरवाही के आधार पर दायी होगा यदि दावाकर्ता स्थापित कर दे कि –

(i) उत्पाद विक्रेता ने ऐसे कार्य में सम्मलित हो उत्पाद बेचा ;

(ii) उत्पाद विक्रेता ने ऐसे उत्पाद के उचित प्रयोग और खतरे के बारे में ऐसे उत्पाद के विनिर्माता से संयोजन, निरीक्षण या ऐसे उत्पाद के रखरखाव में युक्तियुक्त ध्यान नहीं रखा; और

(iii) युक्तियुक्त ध्यान रखने में किसी असफलता दावाकर्ता द्वारा अपहानि होने का संभाव्य कारण होगी ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

76. इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए किसी आदेश के निष्पादन के लिए या सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही जिला पीठ या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी सदस्य या जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना ।

77. (1) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के किसी सदस्य को इस धारा के उपबंधों के अनुसार के सिवाय उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय आयोग के किसी सदस्य की दशा में केंद्रीय सरकार और राज्य आयोग तथा जिला आयोग के किसी सदस्य की दशा में राज्य सरकार किसी सदस्य को आदेश द्वारा उसके पद से हटा सकेगी, यदि वह :--

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, जिसमें समुचित सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

(ग) शारीरिक या मानसिक शैथिलया के कारण सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य है ;

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ड.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(च) सिद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है ;

परंतु किसी सदस्य को खंड (घ), खंड (ड.) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट आधारों पर, और यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश द्वारा कराई जाने वाली जांच के पश्चात्, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ।

नियुक्तियों में रिक्ति या त्रुटि से आदेश का अविधिमान्य नहीं होना ।

78. जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि इनके सदस्यों में से कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

शास्तियां ।

79. (1) जहां कोई व्यापारी या ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, या परिवादी, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उसका लोप करेगा तो वहां ऐसा व्यापारी या व्यक्ति या परिवादी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी और ऐसी शक्तियों के प्रदत्त किए जाने पर, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जिसकी शक्तियां इस प्रकार प्रदत्त की जाती हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा । 1974 का 2 1974 का 2

(3) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा संक्षेपत: विचारण किया जा सकेगा ।

सूचना आदि की तामील ।

80. (1) तामील किए जाने के लिए इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं इसमें इसके पश्चात् उपधारा (2) में वर्णित रीति से तामील की जाएंगी ।

(2) सूचनाओं की तामील विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है या परिवादी

को, सम्यक् रूप से संबोधित अभिस्वीकृति पत्र सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उनकी एक प्रति स्पीड पोस्ट या ऐसी कूरियर सेवा द्वारा जो, यथास्थिति, जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित हो, या दस्तावेजों के पारेषण के किसी अन्य साधन (जिसके अंतर्गत फैक्स संदेश भी है , द्वारा परिदान करके या भेजकर की जा सकेगी और इलैक्ट्रानिक मध्यवर्ती को नोटिसों के तामील के प्रयोजन के लिए यह इलैक्ट्रानिक मध्यवर्ती द्वारा प्रदत्त इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म जहां यह इलैक्ट्रानिक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, पर को तामील किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रानिक मध्यवर्ती ऐसे नोटिसों को स्वीकार और प्रक्रिया करने के लिए तथा इसमें यथा अपेक्षित ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख प्रदान करने के लिए शिकायत अधिकारी अभिहित करेगा ।

(3) जब विरोधी पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा या परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित कोई अभिस्वीकृति या कोई अन्य रसीद, यथास्थिति, जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त होती है या ऐसी डाक वस्तु जिसमें सूचना अंतर्विष्ट हो, किसी डाक कर्मचारी द्वारा या कूरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए तात्पर्यित इस आशय के पृष्ठांकन के साथ कि विरोधी पक्षकार या उसके अभिकर्ता ने या परिवादी ने सूचना से युक्त डाक वस्तु को लेने से इनकार कर दिया है या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन द्वारा जब उसे सूचना दी गई या भेजी गई तो स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है, ऐसे जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को वापस प्राप्त होती है तब यथास्थिति, जिलापीठ या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग यह घोषणा करेगा कि विरोधी पक्षकार या परिवादी पर सूचना की सम्यक् रूप से तामील हो गई है:

परंतु जहां सूचना समुचित रूप से संबोधित पूर्व संदत्त और सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति पत्र के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई थी वहां इस उपधारा में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो गई है या इधर-उधर हो गई है या किसी अन्य कारण से, यथास्थिति, जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा सूचना के जारी करने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राप्त नहीं हुई है ।

(4) विरोधी पक्षकार या परिवादी पर तामील की जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएं पर्याप्त रूप से तामील की गई समझी जाएंगी यदि विरोधी पक्षकार की दशा में उस स्थान पर संबोधित की जाती हैं जहां वह कारबार या व्यवसाय करता है और परिवादी की दशा में, उस स्थान पर संबोधित की जाती हैं जहां ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप से तथा स्वेच्छया निवास कर रहा हो ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश ।

81. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कृत्यों के अनुपालन में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जिन्हें केंद्रीय सरकार समय-समय पर उपभोक्ता कल्याण, उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता को तीव्र, सस्ता और सरल न्याय दिलाने के अनुक्रम में जारी करेगा ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

82. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अन्य सरकारी और गैर-

सरकारी सदस्यों की संख्या ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन कारबार का संव्यवहार करने की प्रक्रिया ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों, विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या ;

(घ) धारा 13 के अधीन आयुक्त और उपायुक्त का वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ix) के अधीन दस्तावेजों और अभिलेखों को प्रस्तुत करना ;

(च) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन आयुक्त और उपायुक्त को पद से हटाने की रीति ;

(छ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन परिवाद रजिस्टर करने की रीति ;

(ज) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जिला आयोग के लिए सदस्यों की संख्या ;

(झ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन जिला आयोग की धनीय अधिकारिता ;

(ञ) धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (घ) के परंतुक के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में परिवाद फाइल करने की रीति और धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए फीस के संदाय की रीति ;

(ट) धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य आयोग की धनीय अधिकारिता ;

(ठ) धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की संख्या और धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ड) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ढ) धारा 49 के खंड (क) के अधीन राष्ट्रीय आयोग की धनीय अधिकारिता ;

(ण) धारा 59 की उपधारा (5) के अधीन सूचना की मांग करने का प्ररूप ;

(त) धारा 63 की उपधारा (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यक्ता सेल के लिए व्यक्तियों की संख्या ;

(थ) धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन मध्यकता के लिए प्रक्रियाएं ;

(द) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित हो ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

83. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार उन सभी या किसी विषय के लिए आदर्श नियमों की विरचना कर सकेगी, जिनकी बाबत राज्य सरकार इस धारा के अधीन नियम बना सकेगी और जहां ऐसे किसी विषय की बाबत आदर्श नियमों की विरचना की गई है, वे राज्य को तब तक लागू होंगे जब तक उस विषय की बाबत राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बना लिए जाते हैं और ऐसे नियम बनाते हुए, जहां तक व्यवहार्य हों, वे आदर्श नियमों के अनुरूप होंगे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन कारबार का संव्यवहार करने की प्रक्रिया ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कारबार का संव्यवहार करने की प्रक्रिया ;

(ग) धारा 27 के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक जिला आयोग के लिए सदस्यों की संख्या ;

(घ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन ;

(ङ) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन जिला आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(च) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या और उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(छ) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 59 की उपधारा (6) के अधीन जानकारी की ईप्सा करने का प्ररूप और रीति, जिसके अंतर्गत लंबित मामले भी हैं ;

(झ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित हो ।

राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।

84. (1) राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से संगत विनियम उन सभी विषयों के लिए विनियम बना सकेगा, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में लागत के स्थगन के लिए, जिसे किसी पक्षकार को संदाय करने का आदेश किया जाए, उपबंध कर सकेगा ।

नियमों और विनियमों का संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना ।

85. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक

सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम और विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम और विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निप्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

86. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

87. (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 1986 का 68

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से संगत है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

(3) उपधारा (2) में निरसन के प्रति किन्हीं विशिष्ट विषयों का वर्णन साधारण खंड अधिनियम, 1887 की धारा 6 के साधारण लागू होने के प्रतिकूल या उसको प्रभावी करने वाला नहीं माना जाएगा । 1987 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (उक्त अधिनियम) उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समाधान और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम का संशोधन अधिनियम के उपबंधों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1991, 1993 और 2002 में किया गया था । यद्यपि उक्त अधिनियम के अधीन उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों के कार्यकरण ने काफी हद तक इस प्रयोजन को पूरा किया है, किन्तु मामलों का निपटारा विभिन्न मजबूरियों के कारण शीघ्रतापूर्वक नहीं हो पाया है । उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को प्रशासित करते हुए कई कमियां प्रकाश में आयी है ।

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के वर्ष 1986 में अधिनियमित किए जाने से लेकर माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में भारी परिवर्तन आया है । आधुनिक बाजारों में माल और सेवाओं का अम्बार लग गया है । वैश्विक प्रदाय ऋंखलाओं के आविर्भाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार में वृद्धि और ई-वाणिज्य के तीव्र विकास के कारण माल और सेवाओं के परिदान की नई प्रणालियां विकसित हुई हैं, उपभोक्ताओं के लिए नए विकल्प और अवसर प्राप्त हुए हैं । इसके साथ-साथ इसके कारण उपभोक्ता नए प्रकार के अनुचित व्यापार और अनैतिक कारबार व्यौहारों के प्रति भेद्य हो गए हैं । भ्रामक विज्ञापन, टेलीमार्केटिंग, बहुस्तरीय विपणन, सीधे विक्रय और ई-टेलिंग ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न की हैं और उपभोक्ताओं को क्षति से बचाने हेतु समुचित और शीघ्र कार्यपालक हस्तक्षेप अपेक्षित होगा । अत: विद्यमान बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को बहुत सी और निरंतर उभरती भेद्यताओं से संरक्षित करने के लिए उक्त अधिनियम को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ।

3. उक्त अधिनियम के क्षेत्र को विस्तृत करने और इसके विस्तार को बढ़ाने के दृष्टिगत और बाजारों में परिवर्तन के साथ गति बनाए रखने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण पर विधान को आधुनिक बनाने के लिए ; उपभोक्ताओं के लिए उचित, साम्यापूर्ण और संगत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ; उपभोक्ताओं को क्षति से बचाने के लिए और उपभोक्ताओं को प्रतितोष की व्यवस्था प्रदान करने के लिए वर्ग कार्रवाई के स्वरूप में शीघ्र कार्यपालक हस्तक्षेप को समर्थ बनाने हेतु विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के स्थान पर नया विधेयक अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 पुर:स्थापित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरसित करना आवश्यक समझा गया है ।

4. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन करने, संरक्षित करने और प्रवृत्त करने के लिए ; अनुचित व्यापार व्यवहारों से उद्भूत उपभोक्ताओं को नुकसान से बचाने के लिए जब आवश्यक हो, तब हस्तक्षेप करने और वर्ग कार्रवाई प्रारंभ करने, जिसके अंतर्गत माल वापस मंगवाना, प्रतिदाय और माल की वापसी प्रवर्तित करना है, के लिए किसी कार्यपालक अभिकरण, जिसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के नाम से जाना जाएगा, की स्थापना का उपबंध करता है । इससे विद्यमान विनियामक व्यवस्था में संस्थागत कमी की पूर्ति होगी । वर्तमानत:,

अनुचित व्यापार व्यवहारों के निवारण या के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य किसी प्राधिकारी में निहित नहीं है । इसका उपबंध ऐसी रीति में किया गया है कि सीसीपीए के लिए अभिकल्पित भूमिका, सेक्टर विनियामकों और द्विगुणन की भूमिकाओं की पूर्ति करता है, तथा अतिव्याप्ति और संभावित द्वंद का परिवर्जन करता है ।

5. इस विधेयक में, ''उत्पाद दायित्व'' के लिए उपबंध, वैयक्तिक क्षति, मृत्यु या किसी उत्पाद के द्वारा कारित या परिणामस्वरूप संपत्ति की क्षति के लिए या के मद्दे कार्रवाई जोड़ी गई है । उत्पाद दायित्वों कार्रवाई के लिए आधार और दावेदार के प्रति विनिर्माता के दायित्वों के लिए उपबंध किए गए हैं । अनुकल्पी विवाद समाधान क्रियाविधि के रूप में "मध्यकता" का उपबंध जोड़ा गया है । इसका उद्देश्य मध्यकता के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के समाधान को विधायी आधार प्रदान करना, इस प्रकार प्रक्रिया को कम बोझिल, साधारण और शीघ्रगामी बनाना है । यह उपभोक्ता न्यायालयों के तत्वाधान में किया जाएगा ।

6. इस विधेयक का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ, उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष अभिकरणों की उपभोक्ता विवाद न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए विभिन्न उपबंधों की व्यवस्था करना है । इनके अंतर्गत, अन्य के साथ, निम्नलिखित हैं :--

(i) उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष अभिकरणों की धनीय अधिकारिता बढ़ाना ;

(ii) परिवादों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए उपभोक्ता न्यायालयों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या में वृद्धि करना ;

(iii) राज्य और जिला आयोग द्वारा उनके अपने आदेशों के पुनर्विलोकन करने की शक्ति ;

(iv) परिवादों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए 'सर्किट न्यायपीठ' का गठन ;

(v) जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करना ;

(vi) इलेक्ट्रानिक रूप में परिवाद फाइल करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्यकारी उपबंध ; और

(vii) ऐसे उपभोक्ता न्यायालयों में परिवाद फाइल करना, जिनकी परिवादी के निवास के स्थान पर और परिवादों की समझी गई ग्राह्यता, यदि ग्राह्यता के प्रश्न का विनिश्चय 21 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, पर अधिकारिता हो ।

7. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

8. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
30 जुलाई, 2015

राम विलास पासवान

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के लिए उपबंध करता है ।

खंड 2--यह खंड प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त परिभाषा और शब्द प्रयोग के लिए उपबंध करता है ।

खंड 3--यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे ।

खंड 4--यह खंड केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन के लिए उपबंध करता है ।

खंड 5--यह खंड केंद्रीय परिषदों के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

खंड 6--यह खंड केंद्रीय परिषद् के उद्देश्यों के लिए उपबंध करती है ।

खंड 7--यह खंड राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन के लिए उपबंध करता है ।

खंड 8--यह खंड राज्य सरकारों द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के उद्देश्यों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 9--यह खंड राज्य सरकारों द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन के लिए उपबंध करता है ।

खंड 10--यह खंड राज्य सरकारों द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के उद्देश्यों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 11--यह खंड केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का एक आयुक्त और पांच उप आयुक्तों के साथ गठन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 12--यह खंड आयुक्त और उप आयुक्तों के चयन के लिए चयन समिति की संरचना और आयुक्त और उप आयुक्तों की सेवाधृति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 13--यह खंड केंद्रीय सरकार को आयुक्त और उपायुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों को विहित करने के लिए सशक्त करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 14--यह खंड केंद्रीय प्राधिकरण के अधिवेशनों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 15--यह खंड केंद्रीय प्राधिकरण के उद्देश्यों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 16--यह खंड केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 17--यह खंड अनुचित व्यापार पद्धतियों और भ्रामक पद्धतियों की जांच करने की केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 18--यह खंड असंबद्ध पदार्थ से अंतर्विष्ट खाद्य वस्तुओं के विक्रय, वितरण, आदि का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 19--यह खंड केंद्रीय प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने के लिए है ।

खंड 20--यह खंड केंद्रीय प्राधिकरण के आयुक्त और उपायुक्त को पद से हटाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 21--यह खंड केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के समक्ष परिवाद फाइल करने के लिए, परिवादों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया, जो विहित की जाए, और उसका निपटान करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 22--यह खंड केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण निधि में केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जुर्मानों का प्रत्यय किए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 23--यह खंड केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग कर रहे जिला कलक्टर और उपआयुक्तों के आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकारियों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 24--यह खंड केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित विधान के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए आदेशों और निदेशों के अननुपालन की जांच करने और अननुपालन की दशा में जुर्माना अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 25--यह खंड केंद्रीय प्राधिकरण को अपने कार्यकरण और कार्य निष्पादन पर एक वार्षिक रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट और विवरणियां जो प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाए, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करने के लिए है ।

खंड 26--यह खंड राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना का उपबंध करने के लिए है, यह खंड राज्य सरकार को किसी जिले में एक से अधिक जिला आयोग स्थापित करने, अधिसूचना द्वारा यह निदेश देने की एक जिला आयोग, जैसा की अधिसूचना में विहित किया जाए, ऐसे जिले या जिलों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करेगा, जहां कोई जिला आयोग नहीं है या अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियां हैं, का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 27--यह खंड जिला आयोग की एक अध्यक्ष और दो से अन्यून तथा ऐसे सदस्यों की संख्या से अनधिक जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, से गठन के लिए, नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु और पात्रता के मानदंड का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 28--यह खंड जिला आयोग के सदस्यों की कतिपय परिस्थितियों के अधीन निर्हरता के लिए उपबंध करता है ।

खंड 29--यह खंड जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की राज्य सरकार के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऐसी रीति में नियुक्ति के लिए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, तथा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सेवाधृति, अधिकतम आयु, जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता, उनको संदेय वेतन और भत्ते, और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाने के लिए और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद धारण समाप्त होने पर जिला आयोग के समक्ष उपस्थित होने से प्रविरत रहने का उपबंध करने

के लिए है ।

खंड 30--यह खंड जिला आयोग को राज्य सरकार से ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों जो आयोग में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, देने का और जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों को विहित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 31--यह खंड जिला आयोग में परिवादों को फाइल करने के लिए धन संबंधी और भौगोलिक क्षेत्राधिकार का उपबंध करने के लिए है । धन संबंधी अधिकारिता जो दावा किए गए माल और सेवाओं के बिल मूल्य पर आधारित जो पचास लाख रुपए से अनधिक हो, का भी उपबंध करता है । कोई उपभोक्ता जिला आयोग में जो उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या वैयक्तिक रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, परिवाद फाइल कर सकने का उपबंध करने के लिए है । यह खंड जिला आयोग की सर्किट बेंच के लिए भी उपबंध करता है ।

खंड 32--यह खंड उस रीति के बारे में उपबंध करता है जिसमें परिवाद किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से परिवादों को फाइल करने के लिए समर्थ बनाने वाला उपबंध, परिवादों को फाइल करने के लिए विहित की जाने वाली फीस, परिवादों की ग्राह्यता के लिए इक्कीस दिन की समय सीमा, परिवाद की ग्राह्यता इक्कीस दिन के भीतर विनिश्चित नहीं होने की दशा में उसे ग्राह्य समझे जाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 33--यह खंड जिला आयोग द्वारा परिवाद को ग्रहण करने पर, अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, अभिलेख पर रखे गए शपथपत्र और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निपटान, परिवाद का तीन माह जहां परीक्षण या विश्लेषण आवश्यक नहीं है और जहां परीक्षण आवश्यक है, पांच माह के भीतर निपटान, अंतरिम आदेशो को पारित करने, सिविल न्यायालय की कतिपय मामलों में शक्तियां, किसी पक्षकार का स्वयं या अपने मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या अधिवक्ता के द्वारा उपसंजात होने, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 34--यह खंड जिला आयोग के द्वारा विवाद के दोनों पक्षकारों की सहमति से माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 35--यह खंड जिला आयोग की शिकायत पर संचालित कार्यवाहियों के पश्चात् निष्कर्ष है का उपबंध करने के लिए है और जिला आयोग इस बात से संतुष्ट है कि परिवाद में विनिर्दिष्ट त्रुटियों में से किसी त्रुटि से ग्रस्त है या सेवाओं के बारे में अंतर्विष्ट कोई अभिकथन या कोई अनुचित व्यवहार साबित हो गया है, । यह खंड उन उपचार/क्षति को विनिर्दिष्ट करता है जो किसी उपभोक्ता को जिला आयोग प्रदान कर सकता है ।

खंड 36--यह खंड जिला आयोग को अपने आदेशों के पुनर्विलोकन की शक्ति देने का केवल वहां जहां अभिलेख को देखने से ही प्रकट पर कोई त्रुटि है, उपबंध करने के लिए है ।

खंड 37--यह खंड जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग को तथ्यों या विधि के आधारों पर आदेश की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में अपील करने के लिए, जैसा कि विहित किया जाए ; पक्षकारों के बीच

हुए समझौते के आधार पर खंड 71 के अधीन पारित किसी आदेश की अपील का वर्जन करना ; राज्य आयोग द्वारा तीस दिन की अवधि के पश्चात् यह समाधान रखते हुए कि ऐसी अवधि के भीतर फाइल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण है, अपीलों को ग्रहण करना ; राज्य आयोग द्वारा केवल वहां अपील को ग्रहण करना जहां अपीलकर्ता ने विहित रीति में परिवादी को संदेय किए जाने के लिए आदेशित रकम का पचास प्रतिशत का निक्षेप किया है का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 38--यह खंड राज्य आयोग की संरचना एक अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और चार सदस्यों से अन्यून जिसमें एक महिला भी हो, और ऐसे अन्य सदस्यों से अनधिक, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ; सदस्य की नियुक्ति के लिए चालीस वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा ; सदस्यों के चयन के लिए शैक्षिक अर्हता और अन्य पात्रता मानदंड ; कतिपय आधारों पर सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निर्हरता ; सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति की संरचना ; सदस्यों की पांच वर्ष के लिए नियुक्ति की सेवाधृति ; सदस्यों के लिए साठ वर्ष की ऊपरी आयु सीमा ; अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति ; पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सदस्यों का त्यागपत्र और उस राज्य में जहां उन्होंने अंतिम सेवा की है, के राज्य आयोग या किसी जिला आयोग के समक्ष उपसंजात होने, कार्य करने या अभिवचन से वर्जित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 39--यह खंड राज्य आयोग को अपने कृत्यों के निर्वहन में आवश्यक सहायता के लिए राज्य सरकार को राज्य आयोग को ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देने और राज्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते, सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 40--यह खंड राज्य आयोग में परिवादों को फाइल करने के लिए धन संबंधी और भौगोलिक क्षेत्राधिकार का उपबंध करने के लिए है । धन संबंधी अधिकारिता जो दावा किए गए माल और सेवाओं के बिल मूल्य पर आधारित जो पचास लाख रुपए से अधिक हो और दस करोड़ रुपए से अनधिक हो, का भी उपबंध करता है । कोई उपभोक्ता राज्य आयोग में जो उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या वैयक्तिक रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, परिवाद फाइल कर सकने का भी उपबंध करता है । यह खंड राज्य आयोग की सर्किट बेंच के लिए भी उपबंध करता है ।

खंड 41--यह खंड राज्य आयोग को राज्य के भीतर कार्यवाही के जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी प्रक्रम पर अन्य जिला आयोग को अंतरित करना, जहां न्याय के हित में ऐसा करना अपेक्षित हो, करने के लिए सशक्त करने का उपबंध करता है ।

खंड 42--यह खंड राज्य आयोग को सर्किट बेंचों को रखने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 43--यह खंड, खंड 32, खंड 33, खंड 34 और खंड 35 के उपबंधों का ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा कि आवश्यक हो, राज्य आयोग द्वारा निपटान को लागू होने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 44--यह खंड राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग को तथ्यों या विधि के आधारों पर आदेश की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में अपील करने के लिए, यदि अपील में विधि का कोई सारवान प्रश्न

अंतर्वलित है जैसा कि विहित किया जाए ; पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर खंड 71 के अधीन पारित किसी आदेश की अपील का वर्जन करना ; राष्ट्रीय आयोग द्वारा तीस दिन की अवधि के पश्चात् यह समाधान रखते हुए कि ऐसी अवधि के भीतर फाइल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण है, अपीलों को ग्रहण करना ; राष्ट्रीय आयोग द्वारा केवल वहां अपील को ग्रहण करना जहां अपीलकर्ता ने विहित रीति में परिवादी को संदेय किए जाने के लिए आदेशित रकम का पचास प्रतिशत का निक्षेप किया है का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 45--यह खंड राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील के ग्रहण किए जाने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर निपटान ; बिना पर्याप्त कारण के स्थगन का नहीं दिया जाना ; यदि अपील को विनिर्दिष्ट नब्बे दिनों के पश्चात् निपटाया जाता है उसके कारणों को अभिलिखित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 46--यह खंड राज्य आयोग अपने द्वारा किए गए किसी आदेश के पुनर्विलोकन के लिए सशक्त करता है । जब अभिलेख को देखने से ही प्रकट कोई त्रुटि हो, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 47--इस खंड का उपखंड (1) राष्ट्रीय आयोग की संरचना एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है उसे केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श के पश्चात् नियुक्त करने और 15 से अन्यून, तथा ऐसे अन्य सदस्यों से अनधिक, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए जिसमें से एक सदस्य महिला हो और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों से प्रत्येक से एक सदस्य हो ; और भर्ती किए जाने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष से अन्यून ; नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हता और अन्य पात्रता मानदंड ; कतिपय आधारों पर नियुक्ति के लिए निर्हरता ; राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति की संरचना का उपबंध करने के लिए है ।

इस खंड का उपखंड (2) राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार, शक्तियां और प्राधिकार को बेंच और बेंच के ज्येष्ठतम पीठासीन सदस्य के द्वारा प्रयोग करने और किसी बिंदु पर मत भिन्नता की दशा में उसके विनिश्चय की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

इस खंड का उपखंड (3) केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को देय वेतन और भत्ते, सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों को विहित करने के लिए सशक्त करने का उपबंध करता है ।

इस खंड का उपखंड (4) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति की सेवाधृति पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए ; एक और पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति की शर्तें, जो भी पूर्वतर हों ; सदस्यों के त्यागपत्र का उपबंध करता है ।

इस खंड का उपखंड (5) राष्ट्रीय आयोग के पूर्व सदस्य को राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग या जिला आयोग के समक्ष उपसंजात होने, कार्य करने या अभिवचन करने से वर्जन करने का उपबंध करता है ।

खंड 48--यह खंड केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराने, जो राष्ट्रीय आयोग के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित हैं और

राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों का उपबंध करता है ।

खंड 49--यह खंड राष्ट्रीय आयोग में परिवादों को फाइल करने के लिए आरंभिक और अपीलीय अधिकारिता का उपबंध करता है । धनीय अधिकारिता दस करोड़ रुपए से अधिक दावाकृत माल या सेवाओं के बिल मूल्य पर आधारित होगी ।

खंड 50--यह खंड यह उपबंध करता है कि खंड 32, खंड 33, खंड 34 और खंड 35 के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवादों के निपटान के लिए ऐसा उपांतरणों सहित लागू होंगे, जो आवश्यक हों ।

खंड 51--यह खंड राष्ट्रीय आयोग द्वारा इसके एकपक्षीय पारित आदेश को अपास्त करने के लिए व्यथित पक्षकार द्वारा आवेदन करने का उपबंध करता है ।

खंड 52--यह खंड राष्ट्रीय आयोग को कार्यवाही के किसी भी स्तर पर एक राज्य के जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य के जिला आयोग या एक राज्य आयोग से दूसरे राज्य आयोग को अंतरित करने हेतु सशक्त करता है ।

खंड 53--यह खंड राष्ट्रीय आयोग को सर्किट न्यायपीठ के लिए सशक्त करता है ।

खंड 54--यह खंड उपबंध करता है कि किसी जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष के पद के रिक्त होने की दशा में या यदि अध्यक्ष किन्हीं अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उनका पालन, यथास्थिति जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के ज्येष्ठतम् सदस्य द्वारा किया जाएगा ।

खंड 55--यह खंड उपबंध करता है कि उपभोक्ताओं के व्यापक हित में राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग किसी व्यक्ति या संगठन या विशेषज्ञ को राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की सहायता करने हेतु निदेश दे सकेगा ।

खंड 56--यह खंड राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालयको आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील का उपबंध करता है ; उच्चतम न्यायालय द्वारा तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् यह समाधान होते हुए कि उस अवधि के भीतर अपील न फाइल करने का पर्याप्त कारण है, अपील ग्रहण करना ; उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील तभी ग्रहण करना, जब अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग द्वारा संदाय हेतु आदेशित राशि का पचास प्रतिशत जमा कर दिया हो ।

खंड 57--यह खंड उपबंध करता है कि जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का आदेश अंतिम होगा, यदि राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, जब तक ऐसी उसे राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील के अंतिम न्यायनिर्णयन में अपास्त नहीं किया जाता है ।

खंड 58--यह खंड परिवाद फाइल करने के लिए उद्भूत वाद हेतुक की तारीख से दो वर्ष की परिसीमा अवधि का उपबंध करता है ।

खंड 59--यह खंड राष्ट्रीय आयोग द्वारा ऐसे पर्याप्त मानक अधिकथित करने का उपबंध करता है, जो अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए उपबंध करें तथा उस प्रयोजन के लिए सभी राज्य आयोगों पर ऐसे विषयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगी, संस्था मामलों के निपटारे और

लंबन के संबंध में कालिक विवरणियां मंगाकर उनके निपटारे के निबंधनानुसार राज्य आयोग के निष्पादन को मानीटर करना ; राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध किन्हीं आरोपों का अन्वेषण करना और आवश्यक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए संबंधित राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना ; मामलों की सुनवाई में एकीकृत प्रकिया अंगीकार करने, एक पक्षकार द्वारा विरोधी पक्षकार को प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों की पूर्व तामील, किसी भाषा में लेखबद्ध निंणयों का अंग्रेजी अनुवाद करना, दस्तावेजों की प्रतियों को त्वरित अनुदत्त करने के संबंध में निदेश जारी करना ; राज्य आयोग या जिला आयोग के कृत्यों का सर्वेक्षण या तो निरीक्षण द्वारा या किसी अन्य तरीके से, जैसा अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण हों और अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए मानक उनकी अर्धन्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना कार्यान्वित हों, करना ।

उपखंड (2) प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य आयोग के कृत्यों के सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली मानीटरी सैल का उपबंध करता है । उपखंड (3) राज्य आयोग उपखंड (1) और उपखंड (2) में निंदिष्ट सभी मामलों में इसकी अधिकारिता के भीतर सभी जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का उपबंध करता है ।

उपखंड (4) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग के विभिन्न कृत्यकारियों, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी हैं, के निष्पादन तथा उपभोक्ता आयोग से संबंधित अन्य विषयों पर ऐसे मानक अधिसूचना द्वारा अधिकथित कर सकेगी, जो आवश्यक समझे जाएं, तथा उपभोक्ता के हितों का वर्धन करने, उनके अधिकारों का संरक्षण करने तथा उपभोक्ता आयोग में उन्हें त्वरित, सस्ता और सरल न्याय देने के लिए पर्यवेक्षण करने का उपबंध करता है ।

उपखंड (5) केन्द्रीय सरकार को कालिक रूप से या जब कभी आवश्यक हो, राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग द्वारा सूचना देने का उपबंध करता है ।

उपखंड (6) राज्य सरकार को, राज्य आयोग से कोई सूचना मांगने, जिसके अंतर्गत लंबित मामले हैं, के लिए प्ररूप विहित करने हेतु सशक्त करता है ।

खंड 60--यह खंड जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के प्रवर्तन हेतु उपबंध करता है ।

खंड 61--यह खंड तुच्छ या तंग करने वाले परिवादों को खारिज करने का उपबंध करता है ।

खंड 62--यह खंड उपबंध करता है कि जिला आयोग द्वारा दिए गए आदेश से तथ्यों और विधि दोनों पर राज्य आयोग को ; राज्य आयोग द्वारा दिए गए आदेश से राष्ट्रीय आयोग को ; और राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए आदेश से उच्चतम न्यायालय को अपील की जाएगी ।

खंड 63--यह खंड राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आयोग से संलग्न जिला उपभोक्ता मध्यकता सैल तथा राज्य से संलग्न राज्य उपभोक्ता मध्यकता सैल की राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग से संलग्न राष्ट्रीय उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापना का उपबंध करता है ; उपखंड (3) राज्य सरकार और केंद्रीय

सरकार को मध्यकता सैल की संरचना हेतु सशक्त करता है ; उपखंड (4) उपबंध करता है कि प्रत्येक मध्यकता सैल पैनलित प्रशिक्षित मध्यस्थों की सूची और दैनिक आधार पर डाटा रखेगा और, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

खंड 64--यह खंड मध्यस्थों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया, पैनल तैयार करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पचहत्तर वर्ष की आयु तक तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए और विस्तार या पचहत्तर वर्ष की आयु तक मध्यस्थों के कार्यकाल का उपबंध करता है ।

खंड 65--यह खंड पैनल से मध्यस्थों को नामर्निदिष्ट करने के लिए अंतर्वलित उपभोक्ता विवादों का समाधान करने के लिए उनकी उपयुक्तता पर विचार करते हुए अधिमानता उपबंध करता है ।

खंड 66--यह खंड मध्यस्थो के कर्तव्यों का कतिपय तथ्यों, जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्याय संदेह उत्पन्न करता हो, का उपबंध करता है ।

खंड 67--यह खंड मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करने का उपबंध करता है, यदि उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के संबंध में कोई न्यायोचित संदेह हो ।

खंड 68--यह खंड कतिपय परिस्थितियों में पैनल से मध्यस्थ के नाम को हटाने का उपबंध करता है ।

खंड 69--यह खंड मध्यकता की प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

खंड 70--यह खंड यह उपबंध करता है कि वाद का कोई पक्षकार अन्य पक्षकार को कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में मध्यस्थ को नोटिस सहित निपटान का आमंत्रण देने का उपबंध करता है ।

खंड 71--यह खंड उपबंध करता है कि किसी भी निपटान के प्राप्ति के सात दिन के भीतर जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग यह अभिलिखित करते हुए आदेश पारित करेगा कि निपटान पक्षकारों के बीच हुआ है और विषय का निपटारा हो गया है ।

खंड 72--यह खंड उपबंध करता है कि ऐसे उत्पाद का विनिर्माता या उत्पादक, उत्पाद दायित्व कार्रवाई में उत्पाद के लिए वहां दायी होगा जहां उपभोक्ता को कोई व्यक्तिक क्षति, मृत्यु या संपत्ति को नुकसान कारित किया जाता है जिसका परिणाम किसी उत्पाद के विनिर्माण, सन्निर्माण, डिजाइन, सूत्र, तैयारी, सज्जीकरण, परीक्षण, सेवा, चेतावनी, अनुदेश, विपणन, पैकेजिंग या लेबलिंग में त्रुटियां हैं ।

खंड 73--यह खंड उन कारणों या आधार के लिए उपबंध करता है जिन पर दावेदार किसी विनिर्माता के विरुद्ध उत्पाद दायित्व कार्रवाई कर सकता है ।

खंड 74--यह खंड उत्पाद विक्रेता और विनिर्माता के विरुद्ध उत्पाद दायित्वि कार्रवाई के अपवादों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 75--यह खंड उत्पाद के विक्रेता के दायित्व का उपबंध करता है ।

खंड 76--यह खंड जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों या जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के निदेशाधीन किसी अधिकारी या व्यक्ति

द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण के लिए उपबंध करता है ।

खंड 77--यह खंड राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के सदस्यों के हटाए जाने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 78--यह खंड उपबंध करता है कि जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल उसके सदस्यों में किसी रिक्त स्थान की विद्यमानता या उसके कथन में किसी त्रुटि के कारण से ही अविधिमान्य होगी ।

खंड 79--यह खंड किसी ऐसे व्यापारी या किसी ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है या परिवादी जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या उसका लोप करता है, की दशा में शास्ति का उपबंध करता है ।

खंड 80--यह खंड सूचना की तामील की प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है ।

खंड 81--यह खंड उपभोक्ता के कल्याण, उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण और त्वरित सस्ता तथा न्याय दिलाने को अग्रसर करने में केंद्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग को प्रशासनिक विषयों पर निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

खंड 82--यह खंड केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 83--यह खंड केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए आदर्श नियमों के अनुरुप नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 84--यह खंड राष्ट्रीय आयोग को उन सभी विषयों के लिए, जिनके लिए प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध आवश्यक या समीचीन है, उपबंध करने वाले प्रस्तावित विधान से संगत नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 85--यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 86--यह खंड उन कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न हो ।

खंड 87--यह खंड निरसन और व्यावृति के लिए उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 11 उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन करने, उनकी संरक्षा करने और उन्हें प्रवृत्त करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात केंद्रीय प्राधिकरण कहा गया है) नामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए है, जिसका अध्यक्ष एक आयुक्त होगा जो भारत सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी होगा तथा केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यकरण में उसकी सहायता करने के लिए पांच उपायुक्त होंगे ।

2. विधेयक का खंड 13 आयुक्त और उपायुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तों के लिए उपबंध करता है ।

3. विधेयक का खंड 19 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय प्राधिकरण के ऐसे स्थानों पर ऐसी संख्या में प्रादेशिक कार्यालय हो सकेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं और प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय का अध्यक्ष उपायुक्त के स्तर का अधिकारी होगा ।

4. विधेयक का खंड 27 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक जिला आयोग अध्यक्ष और कम से कम दो तथा अधिक से अधिक ऐसे सदस्यों की संख्या से मिलकर बनेगा जो नियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

5. विधेयक के खंड 29 का उपखंड (3) जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों के लिए उपबंध करता है और इनका उपबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

6. विधेयक का खंड 30 राज्य सरकार के लिए यह उपबंध करता है कि वह जिला आयोग के लिए उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराए और जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

7. विधेयक का खंड 38 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य आयोग अध्यक्ष और कम से कम चार और अधिक से अधिक सदस्यों की ऐसी संख्या जो विहित की जाए, से मिलकर बनेगा और राज्य आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

8. विधेयक का खंड 39 राज्य सरकार के लिए यह उपबंध करता है कि वह राज्य आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करे तथा आयोग को ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराए, जो वह ठीक समझे तथा राज्य आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा ।

9. विधेयक का खंड 47 यह उपबंध करता है कि राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष और कम से कम पन्द्रह तथा अधिक से अधिक सदस्यों की ऐसी संख्या जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, से मिलकर बनेगा । राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

10. विधेयक का खंड 48 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से, राष्ट्रीय आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे । राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा ।

11. विधेयक का खंड 59 प्रशासनिक दृष्टि से राज्य आयोगों के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित किए जाने वाले निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करने के लिए है ।

12. विधेयक का खंड 63 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आयोग से संबद्ध जिला उपभोक्ता मध्यकता प्रकोष्ठ और राज्य आयोग से संबद्ध उपभोक्ता मध्यकता प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी । केंद्रीय सरकार, राज्य आयोग से संबद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता मध्यकता प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी । उपभोक्ता मध्यकता प्रकोष्ठ ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएं ।

13. प्रस्तावित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए सदस्यों की नियुक्ति से उद्भूत होने वाली वित्तीय विविक्षाओं के संबंध में वेतन और भत्तों सहित प्रचालन खर्चों को पूरा करने के लिए नौ करोड़ रुपए के वार्षिक आवर्ती व्यय का प्राक्कलन किया जाता है । उपभोक्ता मामले विभाग के वार्षिक बजट से इस व्यय को पूरा करने के लिए समुचित बजटीय आबंटन किया जाएगा ।

14. जिला मंच और राज्य आयोग के अतिरिक्त सदस्यों और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति में अंतर्वलित सही व्यय उपदर्शित करना कठिन होगा क्योंकि यह राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे सदस्यों या अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करेगा । तथापि, इस मद्दे व्यय राज्य सरकारों द्वारा उपगत किया जाएगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 82 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । अन्य बातों के साथ-साथ, इन विषयों में,--(क) खंड 4 के उपखंड (2) की मद (ख) के अधीन अन्य शासकीय और अशासकीय सदस्यों की संख्या; (ख) खंड 5 के उपखंड (2) के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया; (ग) खंड 11 के उपखंड (7) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों, विशेषज्ञों और व्यवसायियों की संख्या ; (घ) खंड 13 के अधीन आयुक्त और उपायुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन तथा शर्तें; (ड.) खंड 16 के उपखंड (1) की मद (9) के अधीन दस्तावेजों और अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण ; (च) खंड 20 के उपखंड (2) के अधीन आयुक्त और उपायुक्त के हटाए जाने की रीति; (छ) खंड 21 के उपखंड (3) के अधीन परिवाद रजिस्टर करने की रीति; (ज) खंड 27 के उपखंड (1) की मद (ख के अधीन जिला आयोग के लिए सदस्यों की संख्या ; (झ) खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन जिला आयोग की धन संबंधी अधिकारिता ; (ञ) खंड 32 के उपखंड (1) की मद (घ) के परंतुक के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से परिवाद फाइल करने की रीति और उसके उपखंड (2) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए फीस के संदाय की रीति; (ट) खंड 40 के उपखंड (1)की मद (क) के अधीन राज्य आयोग की धन संबंधी अधिकारिता ; (ठ) खंड 47 के उपखंड (1) की मद (ख) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के लिए सदस्यों की संख्या तथा उसके उपखंड (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते और निबंधन तथा शर्तें ; (ड) खंड 48 के उपखंड (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन तथा शर्तें ; (ढ) खंड 49 की मद (क) के अधीन राष्ट्रीय आयोग की धन संबंधी अधिकारिता ; (ण) खंड 59 के उपखंड (5) के अधीन जानकारी प्राप्त करने का प्रारुप ; (त) खंड 63 के उपखंड (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यक्ता प्रकोष्ठ के लिए व्यक्तियों की संख्या; और (थ) खंड 68 के उपखंड (2) के अधीन मध्यक्ता के लिए प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं ।

2. विधेयक के खंड 83 का उपखंड (1) राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । अन्य बातों के साथ-साथ, इन विषयों में,--(क) खंड 7 के उपखंड (4) के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया ; (ख) खंड 9 के उपखंड (4) के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया; (ग) खंड 27 के उपखंड (1)की मद (ख) के अधीन प्रत्येक जिला आयोग के लिए सदस्यों की संख्या ; (ख) खंड 29 के उपखंड (1) के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति तथा उसके उपखंड (3) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ; (ग) खंड 30 के उपखंड (3) के अधीन जिला आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (घ) खंड 38 के उपखंड (1) के खंड

(ख) अधीन प्रत्येक राज्य आयोग के लिए सदस्यों की संख्या ; उसके उपखंड (3) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ड.) खंड 39 के उपखंड (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन तथा शर्तें ; और (च) खंड 59 के उपखंड (6) के अधीन लंबित मामलों की संख्या सहित जानकारी प्राप्त करने का प्ररुप और उसकी रीति भी सम्मिलित है ।

3. विधेयक के खंड 84 का उपखंड (1) राष्ट्रीय आयोग को, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उन सभी विषयों का उपबंध करने के लिए जिनके लिए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, प्रस्तावित विधान से संगत विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के आस्थगन के खर्च के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

4. विधेयक का खंड 85 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

5. वे विषय जिनकी बाबत नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरों के विषयों से संबंधित हैं और विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—1982LS(CRC)—03-08-2015.